UP NexGen

उत्तर प्रदेश

112

आपात सेवाएं

(परिचय पुस्तिका)

द्वितीय चरण

शहर या देहात, दिन हो या रात

112 है आपके साथ

यूपी-112 कैसे काम करता है

आपकी सेवा में सदैव तत्पर

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

UTTAR PRADESH
112
EMERGENCY

प्रशान्त कुमार
आई०पी०एस०

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश
मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
फोन नं. 0522-2390240 फैक्स नं.2724009
सीयूजी नं. 9454400101
ई-मेल : police.up@nic.in
वेबसाइट : https://uppolice.gov.in

दिनांक: जून 07, 2024

सन्देश

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में, यूपी 112 परियोजना वर्ष 2016 में प्रारम्भ की गई थी। इसका उद्देश्य नागरिकों को त्वरित और प्रभावी पुलिस आपात सेवाएं प्रदान करना है। यह परियोजना तकनीकी और मानव संसाधनों के उत्कृष्ट उपयोग का एक अद्वितीय उदाहरण है और पूरे देश में एक रोल मॉडल के रूप में पहचानी जाती है।

2. यूपी 112 परियोजना को अप्रैल 2024 में, तकनीकी तौर पर उच्चीकृत किया गया, जिससे इसकी कार्यक्षमता और अधिक प्रभावी हो गई। इस उच्चीकरण में अत्याधुनिक तकनीकों का समावेश किया गया, जिससे आपातकालीन सेवाओं में पुलिस प्रतिक्रिया समय और भी कम हो गया।

3. यूपी 112 की सफलता में तकनीकी योगदान जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है इससे जुड़े पुलिस बल के कार्मिकों का योगदान। पुलिस बल का प्रत्येक सदस्य नैसर्गिक तौर पर जनता की सेवा की भावना से ओतप्रोत रहता है। उनके समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा के कारण ही यह परियोजना इतनी सफल हो पाई है।

4. यूपी 112 परियोजना का मुख्य कार्य आमजन को त्वरित सहायता प्रदान करना है। यह सेवा आपातकालीन परिस्थितियों में अन्य सभी सेवाओं से अधिक प्रभावी मानी जाती है और इसके लिए विभिन्न तकनीकी संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है।

5. परियोजना के द्वितीय चरण में स्थापित 6278 आधुनिक पुलिस प्रतिक्रिया वाहन (पीआरवी) नागरिकों की सेवा में बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। इन वाहनों की सहायता से पुलिस का रिस्पॉन्स समय और भी कम हो रहा है, जिससे आपातकालीन स्थितियों में त्वरित सहायता मिल रही है।

6. यूपी 112 का विभिन्न हेल्पलाइनों जैसे फायर, जीआरपी, एम्बुलेंस, महिला हेल्पलाइन, साइबर हेल्पलाइन आदि के साथ एकीकरण किया गया है। इसके अलावा, सेफ सिटी, मेट्रो रेल, आपदा राहत, रेलवे सुरक्षा बल, और अन्य संगठनों के साथ भी एकीकरण की प्रक्रिया चल रही है। इन एकीकरणों के परिणामस्वरूप यूपी 112 सेवा की व्यापकता में विस्तार होगा और नागरिकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी आपात सेवाएं मिल सकेंगी।

7. यूपी 112 नागरिकों के सशक्तीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग को जनता के प्रति अधिक पारदर्शिता और उत्तरदायित्व प्रदान करती है। इससे पुलिस सेवाओं की निष्पक्षता और ईमानदारी में वृद्धि हुई है और नागरिकों का पुलिस पर विश्वास बढ़ा है।

8. यूपी 112 परियोजना में तकनीक और मानव संसाधनों का संयोजन अत्यंत प्रभावी रहा रहा है जो इस क्षेत्र में एक मिसाल है। यूपी 112 के द्वारा आपातकालीन सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के परिणामस्वरूप नागरिकों को त्वरित और प्रभावी सहायता मिल रही है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि यूपी 112 परिचय पुस्तिका सभी पाठकों को इस परियोजना के द्वितीय चरण की नवीनतम प्रौद्योगिकी और इसके मूल उद्देश्यों को समझने में सहायक सिद्ध होगी।

शुभकामनाओं सहित

(प्रशान्त कुमार)
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

UP32 DG 0519

नीरा रावत
आई०पी०एस०

यूपी–112, भवन
7/13, गोमती नगर एक्सटेंशन
लखनऊ
उत्तर प्रदेश

दिनांक: जून 07, 2024

प्राक्कथन

उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग के अधीन "उत्तर प्रदेश पुलिस आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली" (यूपी 112) पूरे राज्य में किसी भी समय नागरिकों को सार्वजनिक सुरक्षा और सुरक्षा के लिए त्वरित एकीकृत आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए वर्ष 2016 में स्थापित की गई है। इस प्रणाली के माध्यम से प्रदेश के 2,40,948 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र में रहने वाले 24 करोड़ से अधिक नागरिकों को आपात सहायता पहुँचायी जा रही है।

2. उत्तर प्रदेश पुलिस ने आपातकालीन सेवा के द्वितीय चरण में नवीनतम प्रौद्योगिकी का समावेश कर राज्य की सुरक्षा और आपात सेवाओं को और अधिक सशक्त और प्रभावी बनाया है। द्वितीय चरण की प्रणाली का उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा, त्वरित प्रतिक्रिया और समन्वित कार्यप्रणाली को सुनिश्चित करना है। परियोजना के प्रथम चरण में शहरी क्षेत्रों में 15 मिनट और ग्रामीण क्षेत्रों में 20 मिनट के औसत प्रतिक्रिया समय के भीतर नागरिकों की सेवा करने के लिए अनुकूलित और कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। द्वितीय चरण में प्रतिक्रिया समय को 10 मिनट से कम प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।

3. यूपी 112 नागरिकों के सशक्तीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग ने स्वयं एक सकारात्मक पहल कर स्वयं को जनता के प्रति पारदर्शिता के साथ उत्तरदायी बनाया है। यह व्यवस्था सुनिश्चित कर रही है कि पुलिस अपनी सेवायें निष्पक्षता और ईमानदारी के साथ प्रदान करे। यह व्यवस्था न केवल पुलिस की कार्यप्रणाली को बुनियादी रूप से परिष्कृत करती है, बल्कि नागरिकों तथा समाज के वृहद स्तर की सोच में भी सार्थक परिवर्तन लाने में सहायक हो रही है।

मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि 'यूपी 112' परिचय पुस्तिका सभी पाठकों को यूपी 112 के द्वितीय चरण में लागू की गयी नवीनतम प्रौद्योगिकी को परियोजना के मूल उद्देश्यों के अनुरूप समझने में सहायक सिद्ध होगी।

शुभकामनाओं सहित

(नीरा रावत)
अपर पुलिस महानिदेशक, आईटेक्स
'यूपी 112' मुख्यालय, उ०प्र० लखनऊ

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	यूपी-112 की आधारभूत संरचना	01
2.	यूपी 112 परियोजना	02
3.	सेशन इनीशियेशन प्रोटोकॉल (Session Initiation Protocol या SIP)	04
4.	नम्बर मास्किंग (Number Masking)	05
5.	पी0आर0वी0 ट्रैकिंग (PRV Tracking)	07
6.	ई0एल0एस0 (Emergency Location Service)	08
7.	जी0पी0एस0 (Global Positioning System)	10
8.	बॉडी वार्न कैमरा (Body Worn Camera, BWC)	12
9.	व्हीकल माउण्टेड पीटीजेड (Pan-Tilt-Zoom) कैमरा	14
10.	जी0पी0एस0 मैप (Global Positioning Map)	16
11.	मोबाइल डाटा टर्मिनल (Mobile Data Terminal)	18
12.	एकीकरण (Integration)	20
13.	डैशबोर्ड (Dashboard)	24
14.	पुलिस प्रतिक्रिया वाहन (Police Response Vehicles)	26
15.	स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP)	28
16.	जनपदीय कन्ट्रोल रूम नम्बर (District Control Room Number)	53

1. यूपी-112 की आधारभूत संरचना

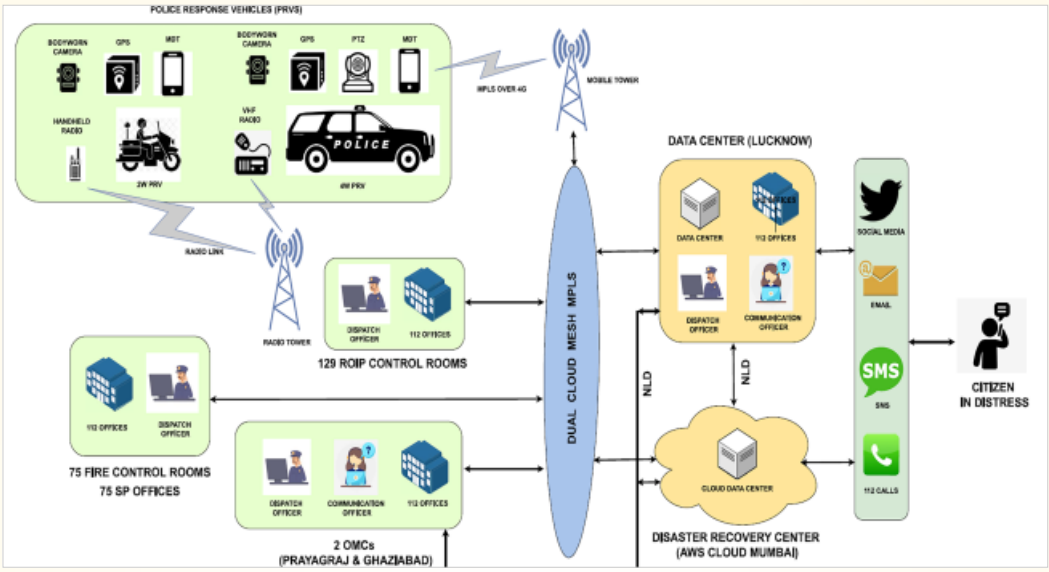

यूपी112 द्वितीय चरण की विशेषतायें:

- **एसआईपी प्रौद्योगिकी** (अधिक संख्या में कॉल के लिए)
- **नंबर मास्किंग** (नागरिकों की गोपनीयता के लिए)
- **पीआरवी ट्रैकिंग** (नागरिक द्वारा)
- **नागरिक का सटीक स्थान** (ईएलएस का उपयोग करके)
- **बेहतर साइबर सुरक्षा समाधान**
- **बॉडी वॉर्न और वाहनों पर PTZ कैमरे**
- **समर्पित जीपीएस डिवाइस** (पीआरवी स्थान के लिए)
- **क्लाउड पर डीआर**
- **ऑनलाइन मानचित्र** (बेहतर स्थितिजन्य जागरूकता के लिए)
- **6278 पीआरवी वाहन**
- **एमडीएम** (एमडीटी और स्मार्टफोन के लिए)
- **अन्य एजेंसियों के साथ एकीकरण**
- **समर्पित ओएफसी लाइन** (बेहतर नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए)

2. यूपी 112 परियोजना

परियोजना : उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग के तहत ''उत्तर प्रदेश पुलिस आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली'' (यूपी 112) पूरे राज्य में किसी भी समय सभी नागरिकों को सार्वजनिक सुरक्षा और सुरक्षा के लिए त्वरित एकीकृत आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए स्थापित की गई है। परियोजना को शहरी क्षेत्रों में 15 मिनट और ग्रामीण क्षेत्रों में 20 मिनट के औसत प्रतिक्रिया समय के भीतर नागरिकों की सेवा करने के लिए अनुकूलित और कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया। द्वितीय चरण में प्रतिक्रिया समय को 10 मिनट से कम करने का लक्ष्य रखा गया है।

यूपी 112 भवन, लखनऊ

कवरेज : परियोजना में लखनऊ में एक उच्च तकनीक केंद्रीकृत संपर्क और प्रेषण केंद्र शामिल हैं। प्रदेश के 2,40,948 Sq. Km. के क्षेत्र में रहने वाले 24 करोड़ से अधिक नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, लखनऊ में डेटा सेंटर और कमांड सेंटर, प्रयागराज और गाजियाबाद में ओएमसी केंद्र, मुम्बई में डेटा रिकवरी ऑन क्लाउड सेंटर स्थापित हैं। इन केन्द्रों को जोड़ने के लिए समर्पित लीज लाइनें हैं। 75 जिला नियंत्रण कक्ष, 18 जोन, 8 रेंज, 7 आयुक्तालय, अग्निशमन सेवा, जीआरपी, आदि भी प्रणाली से जुड़े हैं।

प्रौद्योगिकी : यूपी 112 राज्य भर में विभिन्न भौगोलिक और जनसांख्यिकीय विस्तार में रहने वाले नागरिकों को त्वरित और कुशल आपातकालीन सेवाओं को पूरा करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक पर कार्य करता है। डीसी, डीआर, ओएमसी, सीएडी, जीपीएस, एलबीएस/ईएलएस, वेब एप्लिकेशन, एमपीएलएस, एनओसी, एसओसी, मोबाइल डेटा टर्मिनल, रेडियो-ओवर-इंटरनेट-प्रोटोकॉल (आरओआईपी), वायरलेस सेट, मोबाइल फोन, बॉडी वार्न/पीटीजेड कैमरा, बिजनेस इंटेलिजेंस, गश्ती प्रबंधन, पुलिस मोबाइल ऐप, ईएमएस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी विभिन्न प्रौद्योगिकियों का एकीकरण इस प्रणाली की विशेषता है। सेल फोन, व्हाट्सएप, एसएमएस, ईमेल, एक्स (पूर्व में ट्विटर), फेसबुक, 112 सिटीजन ऐप के माध्यम से कॉलर को सेवा प्रदान करने की व्यवस्था यूपी 112 को राज्य की सबसे लोकप्रिय सेवा बनाता है। यूपी 112 पूरे भारत में सबसे उन्नत तकनीकी प्रणाली बनी हुई है। यूपी 112 को 2019 में दुबई पुलिस द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता में तीसरा सबसे उन्नत अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर (पुलिस श्रेणी) घोषित किया गया है।

संसाधन, सेवा विस्तार और नवोन्मेष : लखनऊ में यूपी 112 मुख्यालय में 203-सीटर संपर्क केंद्र और 147-सीटर डिस्पैच सेंटर है। सेवाएं 825 आउटसोर्स पेशेवर महिला अधिकारियों (नागरिकों), केंद्रीकृत प्रेषण अधिकारियों और 300 पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रदान की जाती हैं। जमीनी स्तर पर, 6278 आधुनिक पुलिस प्रतिक्रिया वाहन (पीआरवी) को यूपी के नागरिकों की सेवा के लिए 24*7 और 365 दिनों के लिए प्राथमिक चिकित्सा किट सहित अन्य आवश्यक उपकरणों से लैस किया गया है। नागरिकों की सेवा के लिए पूरे राज्य में 65,000 से अधिक प्रशिक्षित और संवेदनशील पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। पीआरवी की कार्रवाई का पालन करने और उपचारात्मक उपाय करने के लिए जिला मुख्यालयों में 75 केंद्र हैं।

वर्तमान में यूपी 112 में विभिन्न नागरिक केंद्रित हेल्पलाइनों जैसे फायर, जीआरपी, 108 (एम्बुलेंस हेल्पलाइन), 181 (महिला हेल्पलाइन), 1090 (महिला पावरलाइन), 1930 (साइबर हेल्पलाइन) और लखनऊ स्मार्ट सिटी के लिए एकीकरण है। 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन), ओला और उबर के साथ एकीकरण प्रक्रिया में है।

कोविड-19 महामारी के दौरान, यूपी 112 ने राज्य के लोगों को डोर-टू-डोर चिकित्सा सहायता, व्यक्तिगत देखभाल और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करके सराहनीय काम किया है और कॉल टेकिंग के लिए पहली बार वर्क फ्रॉम होम कल्चर शुरू किया गया है।

यूपी 112 ने "सवेरा योजना" के तहत वरिष्ठ नागरिकों के पंजीकरण की शुरुआत की है। 15 लाख से अधिक लोगों ने स्वेच्छा से पंजीकरण कराया है।

यूपी 112 उन महिलाओं को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचा रहा है, जिन्हें देर रात 10:00 बजे से 06:00 बजे के दौरान मदद की जरूरत है।

तकनीकी की स्थिरता : वर्ष 2016 में यूपी 112 की स्थापना के बाद, इसने विभिन्न श्रेणियों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार अर्जित किए हैं। सिस्टम किसी भी प्रकार की रुकावट के बिना सफलतापूर्वक चल रहा है। प्रौद्योगिकी नागरिकों के लिए स्थिर और विश्वसनीय सेवाएं स्थापित करने में अत्यधिक सफल रही है। अन्य राज्यों में यूपी 112 के सदृश्य ही तकनीकी समाधान को अपनाना स्वयं में इसके मूल्य का प्रमाण है।

द्वितीय चरण में नवीनतम प्रौद्योगिकी : उत्तर प्रदेश पुलिस ने आपातकालीन सेवा के द्वितीय चरण में नवीनतम प्रौद्योगिकी का समावेश कर राज्य की सुरक्षा और आपात सेवाओं को और अधिक सशक्त और प्रभावी बनाया है। द्वितीय चरण की प्रणाली का उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा, त्वरित प्रतिक्रिया और समन्वित कार्यप्रणाली को सुनिश्चित करना है। परियोजना के प्रथम चरण में शहरी क्षेत्रों में 15 मिनट और ग्रामीण क्षेत्रों में 20 मिनट के औसत प्रतिक्रिया समय के भीतर नागरिकों की सेवा करने के लिए अनुकूलित और कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। द्वितीय चरण में प्रतिक्रिया समय को 10 मिनट से कम प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।

यूपी 112 नागरिकों के सशक्तीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग ने स्वयं एक सकारात्मक पहल कर स्वयं को जनता के प्रति पारदर्शिता के साथ उत्तरदायी बनाया है। यह व्यवस्था सुनिश्चित कर रही है कि पुलिस अपनी सेवायें निष्पक्षता और ईमानदारी के साथ प्रदान करे। यह व्यवस्था न केवल पुलिस की कार्यप्रणाली को बुनियादी रूप से परिष्कृत करती है, बल्कि नागरिकों तथा समाज के वृहद स्तर की सोच में भी सार्थक परिवर्तन लाने में सहायक हो रही है।

समाज पर परियोजना का प्रभाव : यूपी 112 की सेवाओं ने राज्य के लोगों में सुरक्षा की भावना जागृत की है जो प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता के अनुरूप है। सुरक्षा की भावना, यूपी 112 द्वारा 100% उच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों और 50% अन्य घटनाओं में ली गई फीडबैक प्रतिक्रिया द्वारा परिलक्षित होती है। फीडबैक कॉल ग्रहण करने वाले लगभग 83% लोगों ने यूपी 112 के कामकाज से संतुष्ट महसूस किया है।

****

3. सेशन इनीशियेशन प्रोटोकॉल (Session Initiation Protocol या SIP)

सेशन इनीशियेशन प्रोटोकॉल (Session Initiation Protocol या SIP) लाइन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क्स पर वॉयस और वीडियो कॉल्स को स्थापित करने, संचालित करने, और समाप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक है। SIP एक सिग्नलिंग प्रोटोकॉल है जो विभिन्न नेटवर्क उपकरणों और एप्लिकेशनों को एक दूसरे के साथ संचार करने और कॉल्स सेट करने में सक्षम बनाता है।

SIP लाइन्स के मुख्य कार्य:

- **कॉल सेटअप:** कॉल स्थापित करने के लिए,SIP एक संदेश भेजता है जो कॉल के लिए आवश्यक जानकारी (जैसे कॉलर और रिसीवर का पता, कॉल का प्रकार) को शामिल करता है।
- **कॉल मॉडिफिकेशन:** कॉल के दौरान, SIP कॉल के पैरामीटर (जैसे मीडिया प्रकार, कोडेक्स) को बदलने की अनुमति देता है।
- **कॉल टर्मिनेशन:** कॉल समाप्त करने के लिए, SIP एक टर्मिनेशन संदेश भेजता है।
- **यूजर लोकेशन:** SIP यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रिसीवर कहां है और कैसे संपर्क किया जा सकता है।
- **यूजर उपलब्धता:** SIP यह निर्धारित करता है कि रिसीवर कॉल लेने के लिए उपलब्ध है या नहीं।

SIP लाइन्स के प्रमुख लाभ:

- **स्केलेबिलिटी:** SIP आसानी से स्केल किया जा सकता है, जो इसे छोटे और बड़े नेटवर्क दोनों के लिए उपयुक्त बनाता है।
- **इंटरऑपरेबिलिटी:** SIP विभिन्न प्रकार के नेटवर्क उपकरणों और सर्विस प्रदाताओं के बीच काम करता है, जिससे यह व्यापक रूप से स्वीकार्य प्रोटोकॉल बन गया है।
- **कस्टमाइजेबिलिटी:** SIP में उपयोगकर्ता और सेवा प्रोवाइडर अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कॉल्स और सेवाओं को कस्टमाइज कर सकते हैं।
- **कंपैटिबिलिटी:** SIP मौजूदा इंटरनेट प्रोटोकॉल (IP) नेटवर्क्स के साथ संगत है, जिससे इसे मौजूदा नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर में आसानी से शामिल किया जा सकता है।

SIP लाइन्स का उपयोग:

- SIP लाइन्स का उपयोग विभिन्न VoIP (Voice over Internet Protocol) सेवाओं में किया जाता है, जैसे कि:
  - इंटरनेट टेलीफोनी
  - वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
  - इंस्टेंट मैसेजिंग
  - मल्टीमीडिया वितरण

उपरोक्त कारणों से, SIP लाइन्स आजकल वॉयस और वीडियो संचार के लिए एक प्रमुख तकनीक बन गई हैं।

****

4. नम्बर मास्किंग (Number Masking)

इमरजेंसी रिस्पांस प्रणाली में नागरिकों की गोपनीयता की सुरक्षा के लिए नंबर मास्किंग एक महत्वपूर्ण तकनीक है। नंबर मास्किंग का उद्देश्य कॉलर्स और रिस्पॉन्डर्स के बीच फोन नंबर जैसी संवेदनशील जानकारी को छिपाना है, जिससे व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रहती है और गोपनीयता बनी रहती है।

नंबर मास्किंग के लाभ

- **गोपनीयता की सुरक्षा:** कॉलर और रिस्पॉन्डर दोनों के फोन नंबर छिपे रहते हैं, जिससे उनकी व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रहती है।
- **सुरक्षित संचार:** अस्थायी और सुरक्षित फोन नंबर का उपयोग करके संचार किया जाता है, जिससे किसी भी पक्ष की पहचान उजागर नहीं होती।
- **डेटा सुरक्षा अनुपालन:** नंबर मास्किंग डेटा सुरक्षा और गोपनीयता कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने में मदद करता है।

नंबर मास्किंग कैसे काम करता है?

नंबर मास्किंग तकनीक आमतौर पर क्लाउड टेलीफोनी सेवाओं द्वारा प्रदान की जाती है। इसकी सामान्य कार्यप्रणाली इस प्रकार है :-

- **कॉल प्रारंभ:** जब एक नागरिक इमरजेंसी सेवा को कॉल करता है, तो कॉल क्लाउड टेलीफोनी प्लेटफ़ॉर्म पर जाती है।
- **अस्थायी नंबर असाइनमेंट:** क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म नागरिक और रिस्पॉन्डर के बीच एक अस्थायी नंबर असाइन करता है। यह अस्थायी नंबर कॉल के दौरान उपयोग किया जाता है।
- **कॉल कनेक्शन:** अस्थायी नंबर के माध्यम से कॉल रिस्पॉन्डर को फॉरवर्ड की जाती है। रिस्पॉन्डर को कॉलर का वास्तविक नंबर दिखाई नहीं देता, केवल अस्थायी नंबर दिखता है।
- **कॉल समाप्ति:** कॉल समाप्त होने के बाद, अस्थायी नंबर समाप्त हो जाता है और भविष्य में पुन: उपयोग नहीं किया जाता।

नंबर मास्किंग के उदाहरण

- **इमरजेंसी सेवाएं:** पुलिस, फायर ब्रिगेड, और एम्बुलेंस सेवाएं नंबर मास्किंग का उपयोग करके नागरिकों की गोपनीयता सुनिश्चित कर सकती हैं।
- **हेल्पलाइन और सपोर्ट सेवाएं:** मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन, घरेलू हिंसा सपोर्ट लाइन्स, और अन्य संवेदनशील हेल्पलाइन सेवाएं कॉलर्स की पहचान छिपाने के लिए नंबर मास्किंग का उपयोग कर सकती हैं।

नंबर मास्किंग तकनीक इमरजेंसी रिस्पांस प्रणाली में नागरिकों की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। यह न केवल व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, बल्कि कॉलर्स को आत्मविश्वास के साथ इमरजेंसी सेवाओं का उपयोग करने में भी मदद करता है। इस प्रकार, नंबर मास्किंग गोपनीयता सुरक्षा और सुरक्षित संचार के लिए आवश्यक है।

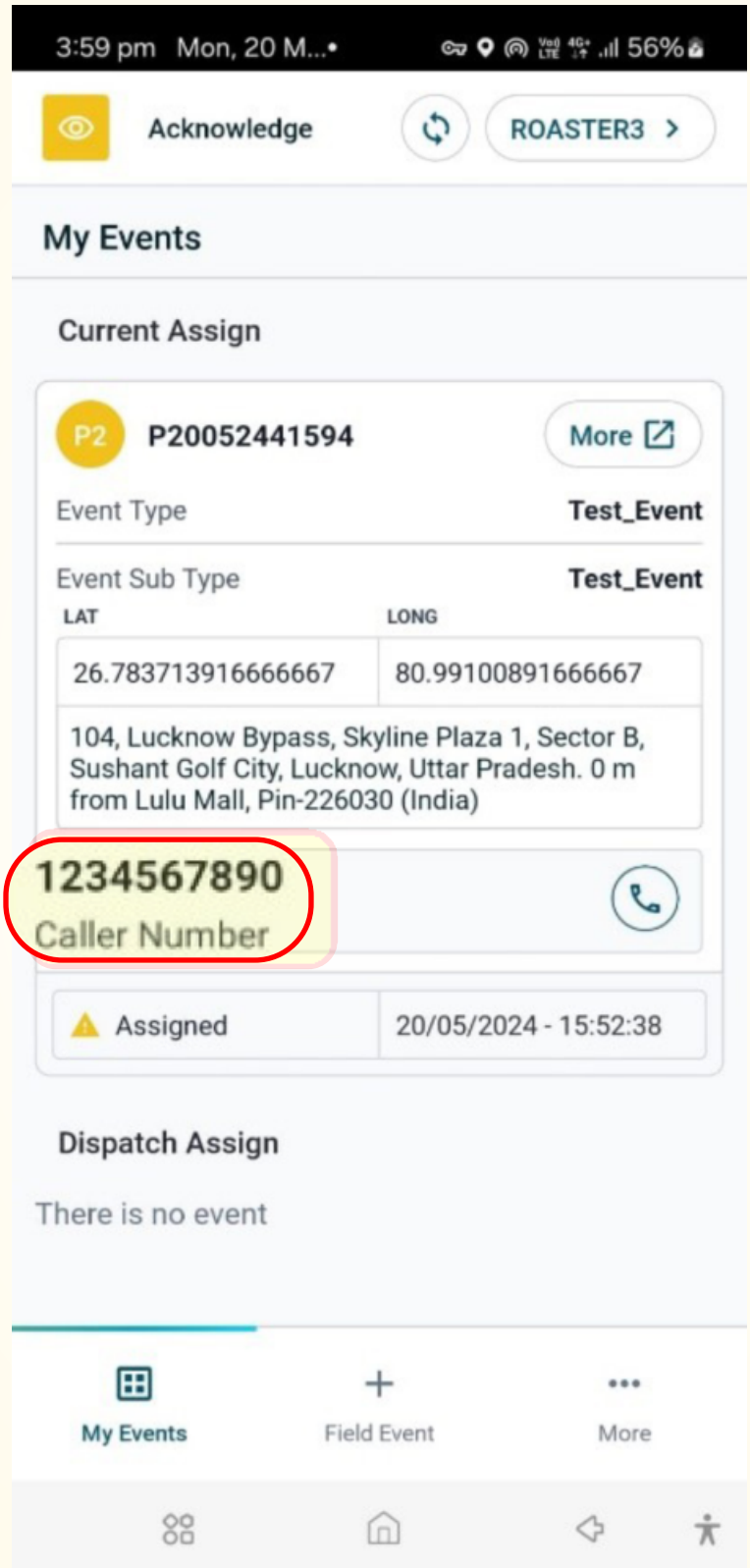

3:59 pm Mon, 20 M...• 56%
Acknowledge
ROASTER3
My Events
Current Assign
P2
P20052441594
More
Event Type
Test_Event
Event Sub Type
Test_Event
LAT
LONG
26.783713916666667
80.99100891666667
104, Lucknow Bypass, Skyline Plaza 1, Sector B, Sushant Golf City, Lucknow, Uttar Pradesh. 0 m from Lulu Mall, Pin-226030 (India)
1234567890
Caller Number
Assigned
20/05/2024 - 15:52:38
Dispatch Assign
There is no event
My Events
Field Event
More

5. पीआरवी ट्रैकिंग (PRV Tracking)

पीआरवी (Police Response Vehicle) ट्रैकिंग प्रणाली नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है, जो उन्हें पुलिस की प्रतिक्रिया की पारदर्शिता और दक्षता में सुधार करने में मदद करता है। यह प्रणाली नागरिकों को वास्तविक समय में पुलिस वाहन की स्थिति और अनुमानित आगमन समय (ETA) की जानकारी प्रदान करती है।

पीआरवी ट्रैकिंग के लाभ:-

- **पारदर्शिता और जवाबदेही:** नागरिकों को यह जानने का अवसर मिलता है कि पुलिस वाहन कितनी जल्दी पहुंचेगा, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है।
- **सुरक्षा में सुधार:** वास्तविक समय में ट्रैकिंग से नागरिक सुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि पुलिस सहायता कितनी दूर है।
- **समय की बचत:** नागरिक अनावश्यक चिंता से बच सकते हैं और उनकी मदद तेजी से पहुंचने पर विश्वास बढ़ता है।
- **सटीक जानकारी:** वास्तविक समय में ट्रैकिंग जानकारी से नागरिकों को सही स्थिति का पता चलता है, जिससे वे सही निर्णय ले सकते हैं।

पीआरवी ट्रैकिंग प्रणाली के प्रमुख घटक:-

- **GPS ट्रैकिंग डिवाइस:** प्रत्येक पुलिस वाहन में एक GPS डिवाइस स्थापित होता है जो वाहन की सटीक स्थिति को ट्रैक करता है।
- **सॉफ्टवेयर प्लेटफ़ॉर्म:** एक केंद्रीकृत सॉफ्टवेयर प्लेटफ़ॉर्म जो सभी पुलिस वाहनों की रियल-टाइम जानकारी को एकत्रित और प्रसारित करता है।
- **मोबाइल एप्लिकेशन:** नागरिकों के लिए एक मोबाइल ऐप या वेब पोर्टल जो उन्हें पुलिस वाहन की वर्तमान स्थिति और ETA की जानकारी देता है।

पीआरवी ट्रैकिंग की कार्यप्रणाली:-

- **इमरजेंसी कॉल:** जब कोई नागरिक पुलिस को कॉल करता है, तो सिस्टम संबंधित पुलिस वाहन को असाइन करता है।
- **रियल-टाइम ट्रैकिंग:** पुलिस वाहन की वास्तविक समय की स्थिति नागरिक के मोबाइल ऐप या वेब पोर्टल पर दिखाई देती है।
- **ETA जानकारी:** सिस्टम नागरिक को पुलिस वाहन के अनुमानित आगमन समय (ETA) की जानकारी प्रदान करता है।
- **अलर्ट और अपडेट्स:** यदि पुलिस वाहन किसी कारणवश देरी से पहुंचेगा, तो नागरिक को वास्तविक समय में अपडेट्स और अलर्ट प्राप्त होते हैं।

पीआरवी ट्रैकिंग प्रणाली के उदाहरण:-

- **अर्बन एरिया:** शहरों में, जहां ट्रैफिक जाम सामान्य होते हैं, पीआरवी ट्रैकिंग नागरिकों को वास्तविक समय की स्थिति की जानकारी देने में मदद करता है।
- **रूरल एरिया:** ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां पुलिस वाहन पहुंचने में अधिक समय ले सकते हैं, ट्रैकिंग प्रणाली नागरिकों को राहत देती है और सुरक्षा का अनुभव कराती है।

पीआरवी ट्रैकिंग प्रणाली नागरिकों की सुरक्षा और विश्वास को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह पारदर्शिता, जवाबदेही, और समय पर सहायता प्रदान करने में मदद करता है। इसके माध्यम से, पुलिस विभाग अपनी सेवाओं को अधिक प्रभावी और नागरिक-केंद्रित बना सकता है।

6. ई0एल0एस0 (Emergency Location Service)

ईएलएस (Emergency Location Service) प्रणाली एक अत्याधुनिक तकनीक है जिसका उद्देश्य आपातकालीन स्थितियों में सटीक लोकेशन डेटा प्राप्त करना है। यह प्रणाली आपातकालीन सेवाओं को कॉल करने वाले व्यक्ति की सटीक जीपीएस लोकेशन उपलब्ध कराती है, जिससे त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया संभव हो पाती है।

ईएलएस प्रणाली के प्रमुख लाभ:-

- **सटीक लोकेशन डेटा:** ईएलएस प्रणाली जीपीएस, वाई-फाई, और मोबाइल नेटवर्क डेटा का उपयोग करके कॉलर की सटीक लोकेशन प्रदान करती है।
- **त्वरित प्रतिक्रिया:** सटीक लोकेशन डेटा के माध्यम से इमरजेंसी सेवाएं त्वरित और प्रभावी ढंग से घटनास्थल पर पहुंच सकती हैं।
- **बढ़ी हुई सुरक्षा:** आपातकालीन स्थितियों में सटीक लोकेशन मिलने से नागरिकों की सुरक्षा में सुधार होता है।
- **गोपनीयता:** ईएलएस प्रणाली केवल आपातकालीन कॉल के दौरान सक्रिय होती है, जिससे कॉलर की गोपनीयता बनी रहती है।

ईएलएस प्रणाली की कार्यप्रणाली:-

- **आपातकालीन कॉल प्रारंभ:** जब कोई व्यक्ति आपातकालीन नंबर (जैसे 112, 911) पर कॉल करता है, तो ईएलएस प्रणाली स्वतः सक्रिय हो जाती है।
- **लोकेशन डेटा संग्रहण:** ईएलएस प्रणाली कॉलर के स्मार्टफोन से जीपीएस, वाई-फाई, और मोबाइल नेटवर्क डेटा का उपयोग करके सटीक लोकेशन जानकारी एकत्र करती है।
- **लोकेशन डेटा ट्रांसमिशन:** एकत्रित लोकेशन डेटा आपातकालीन सेवाओं के कंट्रोल रूम में भेजा जाता है, जहां इसे कॉलर की सटीक स्थिति का निर्धारण करने के लिए उपयोग किया जाता है।
- **इमरजेंसी रिस्पांस:** सटीक लोकेशन डेटा के आधार पर, आपातकालीन सेवाएं घटनास्थल पर त्वरित और सटीक रूप से पहुंच सकती हैं।

ईएलएस प्रणाली के प्रमुख घटक:-

- **स्मार्टफोन जीपीएस:** स्मार्टफोन में बिल्ट-इन जीपीएस मॉड्यूल लोकेशन डेटा का प्रमुख स्रोत है।
- **वाई-फाई और मोबाइल नेटवर्क:** वाई-फाई हॉटस्पॉट्स और मोबाइल टॉवर्स का डेटा लोकेशन सटीकता को बढ़ाने में मदद करता है।
- **सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन:** स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम (जैसे एंड्रॉइड, आईओएस) में ईएलएस प्रणाली का सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटेड होता है, जो कॉल के दौरान स्वतः सक्रिय हो जाता है।

ईएलएस प्रणाली का उपयोग:-

- **पुलिस और फायर ब्रिगेड:** पुलिस और फायर ब्रिगेड की त्वरित प्रतिक्रिया के लिए सटीक लोकेशन जानकारी प्रदान करना।
- **एम्बुलेंस सेवाएं:** आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को सटीक लोकेशन जानकारी देकर दुर्घटनास्थल पर त्वरित पहुंच सुनिश्चित करना।
- **बचाव ऑपरेशन:** प्राकृतिक आपदाओं या अन्य बचाव ऑपरेशनों के दौरान पीड़ितों का सटीक लोकेशन ट्रैक करना।

ईएलएस प्रणाली आपातकालीन स्थितियों में नागरिकों की सुरक्षा और त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीक है। इसके माध्यम से, आपातकालीन सेवाएं सटीक और प्रभावी रूप से घटनास्थल पर पहुंच सकती हैं, जिससे लोगों की जान बचाने और सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। इस प्रकार की प्रणाली को अपनाना आधुनिक आपातकालीन सेवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

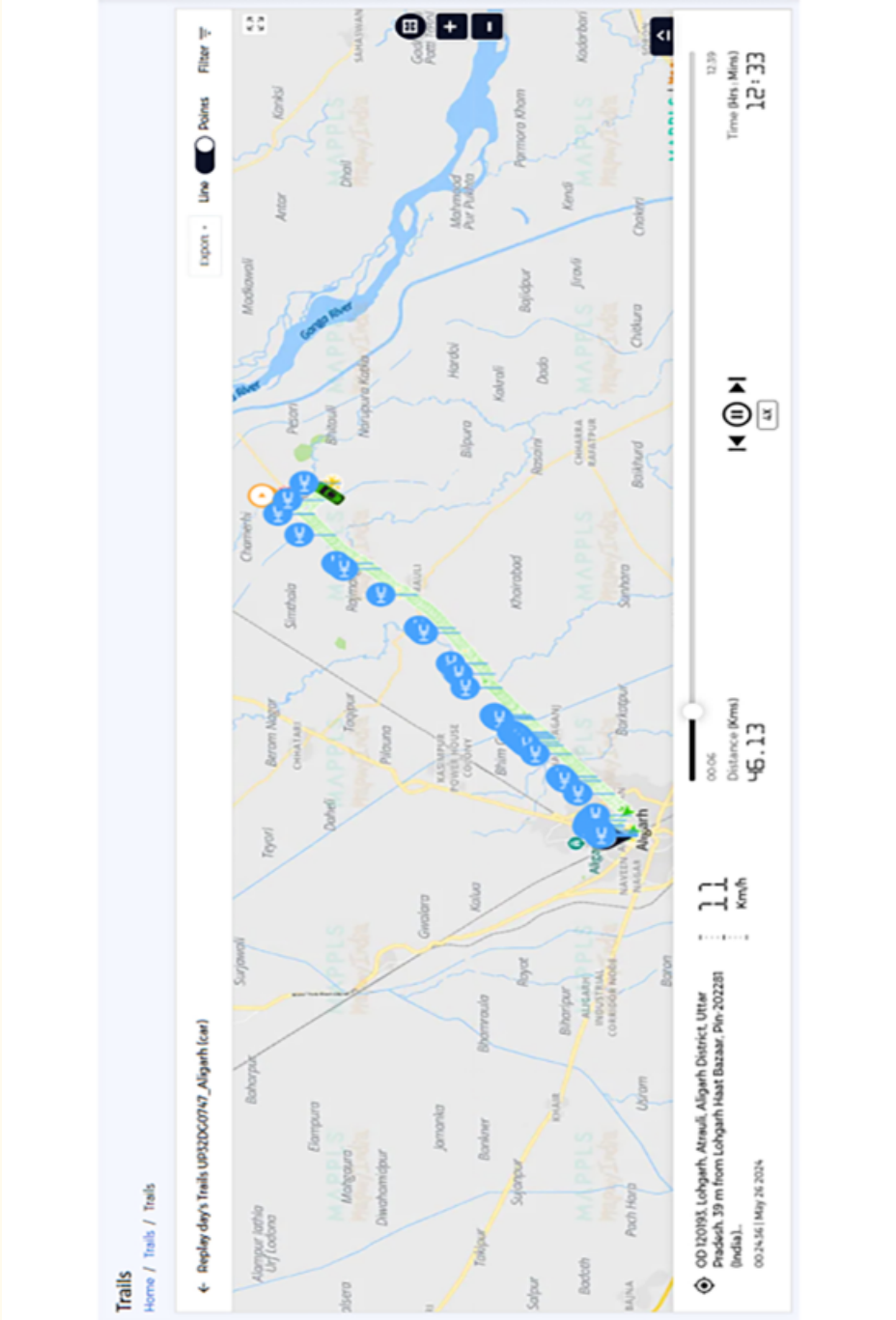

7. जी0पी0एस0 (Global Positioning System)

जीपीएस (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) डिवाइस एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है, जो उपग्रहों के माध्यम से किसी वस्तु, व्यक्ति या वाहन की सटीक स्थिति को ट्रैक करता है। यह डिवाइस जीपीएस उपग्रहों से प्राप्त संकेतों का उपयोग करके किसी स्थान के अक्षांश और देशांतर (latitude and longitude) को निर्धारित करता है। जीपीएस डिवाइस का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे:

- **नेविगेशन:** वाहन, हवाई जहाज, और जहाजों के लिए दिशा निर्देश प्रदान करना।
- **ट्रैकिंग:** वाहनों, व्यक्तियों, और सामानों की वास्तविक समय में निगरानी।
- **खेल और फिटनेस:** दौड़ना, साइकिल चलाना, और अन्य आउटडोर गतिविधियों के दौरान दूरी, गति, और स्थान की जानकारी।
- **सर्वेक्षण और मानचित्रण:** भूगोलिक सर्वेक्षण और नक्शे बनाने में।
- **आपातकालीन सेवाएं:** दुर्घटनाओं और आपात स्थितियों में तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए।

जीपीएस डिवाइस के मुख्य घटक

- **जीपीएस रिसीवर:** यह उपग्रहों से संकेत प्राप्त करता है और उन संकेतों का विश्लेषण करता है।
- **प्रोसेसर:** प्राप्त डेटा को संसाधित करता है और स्थान की गणना करता है।
- **एंटेना:** यह उपग्रहों से संकेतों को प्राप्त करने के लिए प्रयोग होता है।
- **डिस्प्ले स्क्रीन:** उपयोगकर्ता को वर्तमान स्थिति, दिशा निर्देश और अन्य जानकारी दिखाता है।
- **पावर सोर्स:** बैटरी या बाहरी पावर स्रोत जो डिवाइस को ऊर्जा प्रदान करता है।

जीपीएस डिवाइस के प्रकार

- **हैंडहेल्ड जीपीएस डिवाइस:** व्यक्तिगत उपयोग के लिए, छोटे और पोर्टेबल होते हैं।
- **कार नेविगेशन सिस्टम:** वाहनों में स्थायी रूप से इंस्टॉल किए जाते हैं और ड्राइविंग के दौरान मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।
- **वियरबल जीपीएस डिवाइस:** फिटनेस और खेल गतिविधियों के लिए घड़ियों या बैंड्स के रूप में पहने जाते हैं।
- **फ्लीट मैनेजमेंट जीपीएस:** व्यवसायों द्वारा अपने वाहनों के बेड़े का प्रबंधन करने के लिए उपयोग किए जाते हैं।

जीपीएस डिवाइस का उपयोग कैसे करें

- **डिवाइस चालू करें:** सबसे पहले, जीपीएस डिवाइस को चालू करें और इसे उपग्रह संकेत प्राप्त करने के लिए खुली जगह में रखें।
- **गंतव्य दर्ज करें:** यदि नेविगेशन के लिए उपयोग कर रहे हैं, तो गंतव्य का पता या कोऑर्डिनेट्स दर्ज करें।
- **निर्देशों का पालन करें:** डिवाइस द्वारा प्रदान किए गए दिशा निर्देशों का पालन करें।
- **रूट ट्रैकिंग:** यदि ट्रैकिंग के लिए उपयोग कर रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि डिवाइस सही तरीके से स्थापित है और चालू है।
- **जीपीएस डिवाइस** आजकल हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गए हैं, जो यात्रा, सुरक्षा, और विभिन्न गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

यूपी 112 के द्वितीय चरण में वाहनों की लोकेशन प्राप्त करने, वाहन द्वारा चली गई दूरी, गति, एवरेज, डीजल की खपत, आदि संकेतकों के मापन हेतु **मैप माई इण्डिया** (Map My India) का जीपीएस डिवाइस सभी दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों में लगाया गया है।

जनपदीय, रेंज व जोन स्तर पर पीआरवी की गतिविधियों को मॉनीटर करने के लिए मैप माई इण्डिया (Map My India) द्वारा लिंक दिये गये हैं।

ऊपरी भाग का चित्र

पृष्ठ भाग का चित्र

उपकरण एवं तार के चित्र

8. बॉडी वार्न कैमरा (Body Worn Camera, BWC)

बॉडी वार्न कैमरा (Body Worn Camera, BWC) एक छोटा, पहनने योग्य उपकरण है। यह एक पोर्टेबल रिकॉर्डिंग डिवाइस है जिसे आमतौर पर पुलिस अधिकारी और सुरक्षा कर्मी उपयोग करते हैं। यह कैमरा उन घटनाओं को रिकॉर्ड करता है जिनका सामना अधिकारी अपने ड्यूटी के दौरान करते हैं। बॉडी वार्न कैमरा का उपयोग मुख्य रूप से पारदर्शिता बढ़ाने, साक्ष्य एकत्र करने, और अधिकारी और नागरिकों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। ये कैमरे छोटे, हल्के और टिकाऊ होते हैं, और इन्हें छाती, कंधे, या हेलमेट पर लगाया जा सकता है।

बॉडी वॉर्न कैमरा के मुख्य फीचर्स :-

- **वीडियो रिकॉर्डिंग:** उच्च गुणवत्ता वाली वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ, ये कैमरे विभिन्न प्रकार के वीडियो फॉर्मेट में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसे कि 720p, 1080p, आदि।
- **ऑडियो रिकॉर्डिंग:** इन कैमरों में उच्च गुणवत्ता वाले माइक्रोफोन होते हैं जो स्पष्ट ऑडियो कैप्चर करते हैं, जिससे बातचीत और अन्य महत्वपूर्ण ध्वनियाँ रिकॉर्ड हो सकती हैं।
- **नाइट विजन:** कुछ बॉडी वॉर्न कैमरों में इन्फ्रारेड नाइट विजन की सुविधा होती है, जो अंधेरे में भी स्पष्ट वीडियो रिकॉर्ड करने में सक्षम बनाती है।
- **वाइड-एंगल लेंस:** वाइड-एंगल लेंस के माध्यम से अधिक विस्तृत दृश्य को कैप्चर किया जा सकता है, जिससे घटनाओं का व्यापक परिप्रेक्ष्य मिलता है।
- **वॉटरप्रूफ और शॉकप्रूफ:** ये कैमरे कठिन परिस्थितियों में भी काम करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और अक्सर वॉटरप्रूफ और शॉकप्रूफ होते हैं।
- **लाइव स्ट्रीमिंग:** कुछ एडवांस कैमरों में लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा होती है, जिससे रियल-टाइम में फुटेज को मॉनिटरिंग स्टेशन या कमांड सेंटर में भेजा जा सकता है।
- **डेटा एन्क्रिप्शन:** सुरक्षा की दृष्टि से, रिकॉर्ड किए गए डेटा को एन्क्रिप्ट किया जा सकता है ताकि अनधिकृत पहुँच से बचा जा सके।

बॉडी वॉर्न कैमरा के फायदे

- **पारदर्शिता और जवाबदेही:** इन कैमरों के उपयोग से पुलिस और सुरक्षा कर्मियों के कार्यों में पारदर्शिता बढ़ती है, जिससे उनकी जवाबदेही सुनिश्चित होती है।
- **साक्ष्य संग्रह:** घटनाओं के समय रिकॉर्ड किए गए वीडियो और ऑडियो साक्ष्य के रूप में अदालतों में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जिससे न्याय प्रक्रिया में सहायता मिलती है।
- **अपराध में कमी:** बॉडी वॉर्न कैमरों के उपयोग से अपराधियों के बीच डर बढ़ता है और वे आपराधिक गतिविधियों से बचने की कोशिश करते हैं।
- **व्यवहार में सुधार:** पुलिस और नागरिकों दोनों के व्यवहार में सुधार देखा गया है, क्योंकि दोनों जानते हैं कि उनकी हरकतें रिकॉर्ड हो रही हैं।
- **अधिकारियों और नागरिकों की सुरक्षा:** रिकॉर्डिंग के कारण अधिकारी और नागरिक दोनों अपने व्यवहार में सुधार करते हैं, जिससे हिंसक घटनाओं की संभावना कम हो जाती है। गलत आरोपों से बचाव के लिए उपयोगी होता है।

- **प्रशिक्षण और मूल्यांकन:** अधिकारियों के प्रदर्शन का आकलन और प्रशिक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है। वास्तविक स्थितियों के आधार पर बेहतर प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किए जा सकते हैं।
- बॉडी वॉर्न कैमरा चुनते समय ध्यान देने योग्य बातें:-
- **वीडियो क्वालिटी:** उच्च गुणवत्ता वाली वीडियो रिकॉर्डिंग महत्वपूर्ण है ताकि घटनाओं के स्पष्ट दृश्य प्राप्त हो सकें।
- **बैटरी लाइफ:** लंबी बैटरी लाइफ महत्वपूर्ण है, खासकर जब कैमरा लंबे समय तक उपयोग में रहेगा।
- **स्टोरेज कैपेसिटी:** पर्याप्त स्टोरेज स्पेस होना चाहिए ताकि बड़ी मात्रा में डेटा सुरक्षित रूप से स्टोर किया जा सके।
- **माउंटिंग विकल्प:** कैमरा कैसे और कहाँ माउंट किया जाएगा, इसके लिए विभिन्न माउंटिंग विकल्प उपलब्ध होने चाहिए।
- **सॉफ्टवेयर कम्पैटिबिलिटी:** डेटा को प्रोसेस करने और मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर की कम्पैटिबिलिटी भी महत्वपूर्ण है।

यूपी 112 के द्वितीय चरण में बॉडी वॉर्न कैमरा का उपयोग आधुनिक सुरक्षा और कानून प्रवर्तन में एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में पारदर्शिता बढ़ाने, साक्ष्य संग्रह करने, और अपराध दर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सभी चार पहिया एवं दो पहिया पीआरपी पर किया जा रहा है।

बॉडी वार्न कैमरे के चित्र

सामने का चित्र | पीछे का चित्र | बायें तरफ का चित्र | दायें तरफ का चित्र

9. व्हीकल माउण्टेड पीटीजेड कैमरा (Pan-Tilt-Zoom Camera)

व्हीकल माउण्टेड पीटीजेड (Pan-Tilt-Zoom) कैमरा एक उच्च-प्रदर्शन कैमरा प्रणाली है जिसे वाहनों पर स्थापित किया जाता है। ये कैमरे विभिन्न एंगलों में घूम सकते हैं (पैन), ऊपर-नीचे झुक सकते हैं (टिल्ट), और ज़ूम इन-आउट कर सकते हैं, जिससे व्यापक क्षेत्र की निगरानी संभव होती है। ये कैमरे व्यापक कवरेज, गतिशीलता और सटीकता प्रदान करते हैं, जो उन्हें विभिन्न अनुप्रयोगों में उपयोगी बनाता है। ये कैमरे विशेष रूप से निगरानी, कानून प्रवर्तन, सैन्य, ट्रैफिक प्रबंधन, और सुरक्षा उद्देश्यों के लिए उपयोगी होते हैं।

व्हीकल माउण्टेड पीटीजेड कैमरा के मुख्य फीचर्स:-

- **पैन, टिल्ट और ज़ूम क्षमताएं:** ये कैमरे 360 डिग्री तक पैन कर सकते हैं, 90 डिग्री तक टिल्ट कर सकते हैं, और कई गुना ऑप्टिकल ज़ूम कर सकते हैं, जिससे विस्तृत और सटीक निगरानी संभव होती है।
  - **पैन:** कैमरा क्षैतिज दिशा में घूम सकता है, जिससे विस्तृत क्षेत्र को कवर किया जा सकता है।
  - **टिल्ट:** कैमरा ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर और नीचे मूव कर सकता है, जिससे ऊंचाई में बदलाव की स्थिति में भी निगरानी संभव होती है।
  - **ज़ूम:** कैमरा ऑप्टिकल और डिजिटल ज़ूम फीचर्स के साथ आता है, जिससे दूरस्थ वस्तुओं या घटनाओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।
- **उच्च रिज़ॉल्यूशन वीडियो:** ये कैमरे हाई डेफिनिशन (HD) और अल्ट्रा हाई डेफिनिशन (UHD) वीडियो रिकॉर्डिंग और स्ट्रीमिंग की क्षमता रखते हैं। अधिकांश पीटीजेड कैमरे हाई डेफिनिशन (HD) या 4K रिज़ॉल्यूशन में वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, जिससे स्पष्ट और विस्तृत वीडियो फुटेज मिलती है।
- **नाइट विजन और इंफ्रारेड (IR) टेक्नोलॉजी:** इंफ्रारेड (IR) तकनीक का उपयोग करके ये कैमरे कम रोशनी या अंधेरे में भी स्पष्ट वीडियो कैप्चर कर सकते हैं।
- **वेदरप्रूफ और ड्यूरेबल डिज़ाइन:** ये कैमरे विपरीत मौसम और पर्यावरणीय स्थितियों में भी काम करने के लिए डिज़ाइन किए गए होते हैं। इनमें धूल, पानी, और तापमान के प्रति प्रतिरोधक क्षमता होती है।
- **वाइब्रेशन रेजिस्टेंस:** ये कैमरे वाहन की गति और कंपन के बावजूद स्थिर वीडियो कैप्चर करने में सक्षम होते हैं।
- **रिमोट कंट्रोल:** कैमरे को रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे ऑपरेटर कहीं से भी कैमरे के मूवमेंट और ज़ूम को नियंत्रित कर सकते हैं।
- **ऑटो ट्रैकिंग:** कुछ पीटीजेड कैमरे ऑटो ट्रैकिंग फीचर के साथ आते हैं, जो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्वचालित रूप से ट्रैक कर सकते हैं।

व्हीकल माउण्टेड पीटीजेड कैमरा के फायदे:-

- **विस्तृत कवरेज:** पैन, टिल्ट और ज़ूम क्षमताओं के कारण ये कैमरे विस्तृत क्षेत्र को कवर कर सकते हैं, जिससे निगरानी की गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार होता है।
- **मोबाइल निगरानी:** व्हीकल माउंटिंग के कारण ये कैमरे चलते-फिरते निगरानी कर सकते हैं, जिससे ट्रैफिक प्रबंधन और अपराध रोकथाम में मदद मिलती है।

- **सुरक्षा और कानून प्रवर्तन में सुधार:** ये कैमरे कानून प्रवर्तन अधिकारियों को सटीक और वास्तविक समय में घटनाओं को मॉनिटर करने में मदद करते हैं, जिससे उनकी प्रतिक्रिया क्षमता में सुधार होता है।
- **लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग:** इन कैमरों से लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग की सुविधा मिलती है, जिससे दूरस्थ रूप से भी घटनाओं का सटीक रिकॉर्ड रखा जा सकता है।

व्हीकल माउण्टेड पीटीजेड कैमरा चुनते समय ध्यान देने योग्य बातें

- **वीडियो क्वालिटी:** सुनिश्चित करें कि कैमरा उच्च रिज़ॉल्यूशन (HD या UHD) वीडियो रिकॉर्ड कर सके।
- **पैन, टिल्ट और जूम रेंज:** कैमरे का पैन, टिल्ट और जूम रेंज पर्याप्त होना चाहिए ताकि यह बड़े क्षेत्र को कवर कर सके।
- **बिल्ड क्वालिटी:** कैमरे की बिल्ड क्वालिटी मजबूत और मौसम प्रतिरोधी होनी चाहिए ताकि यह सभी परिस्थितियों में काम कर सके।
- **रिमोट कंट्रोल और कनेक्टिविटी:** कैमरे में रिमोट कंट्रोल और अच्छी कनेक्टिविटी फीचर्स होने चाहिए, जैसे वाई-फाई, 4G/5G, आदि।
- **स्टोरेज और डेटा मैनेजमेंट:** कैमरे में पर्याप्त स्टोरेज क्षमता होनी चाहिए और डेटा मैनेजमेंट सिस्टम सुरक्षित और कुशल होना चाहिए।

यूपी 112 के द्वितीय चरण में व्हीकल माउण्टेड पीटीजेड कैमरा का उपयोग आधुनिक सुरक्षा और कानून प्रवर्तन में एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में पारदर्शिता बढ़ाने, साक्ष्य संग्रह करने, और अपराध दर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए चुनिन्दा चार पहिया वाहनों पर किया जा रहा है।

व्हीकल माउन्टटेड पीटीजेड कैमरा व उपकरण

PTZ CAMERA

MOBILE NVR

JOYSTICK CONTROLLER

LCD SCREEN

10. जी0पी0एस0 मैप (GPS MAP)

जीपीएस मैप एक डिजिटल मैप होता है जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) के जरिए किसी व्यक्ति या वाहन की सटीक लोकेशन को दिखाने में मदद करता है। जीपीएस मैप विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोगी होते हैं, जैसे नेविगेशन, ट्रैकिंग, यात्रा योजना, और रियल-टाइम लोकेशन ट्रैकिंग। जीपीएस मैप को स्मार्टफोन्स, कार नेविगेशन सिस्टम, और अन्य जीपीएस डिवाइसों में उपयोग किया जा सकता है।

जीपीएस मैप के मुख्य फीचर्स

- **रियल-टाइम नेविगेशन:** जीपीएस मैप्स रियल-टाइम में दिशा निर्देश देते हैं, जिससे आप अपने गंतव्य तक आसानी से पहुँच सकते हैं। ये मैप्स आपको सबसे तेज़ और सुरक्षित मार्ग दिखाते हैं।
- **टर्न-बाई-टर्न निर्देश:** जीपीएस मैप्स आपको हर मोड़ पर दिशा निर्देश देते हैं, जिससे आपको रास्ता ढूँढने में कोई कठिनाई नहीं होती।
- **ट्रैफिक अपडेट्स:** कुछ जीपीएस मैप्स रियल-टाइम ट्रैफिक जानकारी प्रदान करते हैं, जिससे आप जाम से बच सकते हैं और अपनी यात्रा को बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हैं।

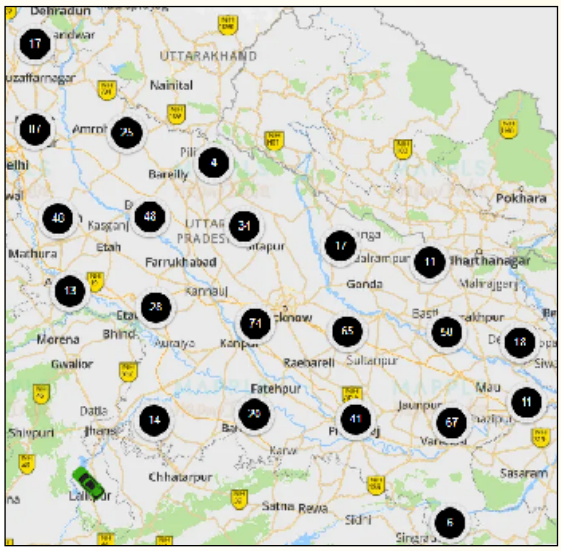

जीपीएस मैप पर पीआरवी की स्थिति

- **लोकेशन सर्च:** जीपीएस मैप्स में आप किसी भी स्थान को सर्च कर सकते हैं, जैसे रेस्तरां, होटल, गैस स्टेशन, आदि, और ये मैप्स आपको वहां तक पहुँचने का मार्ग भी दिखाते हैं।
- **सैटेलाइट और हाइब्रिड व्यू:** जीपीएस मैप्स सैटेलाइट और हाइब्रिड व्यू प्रदान करते हैं, जिससे आप जगहों को अधिक स्पष्टता से देख सकते हैं।
- **ऑफलाइन मैप्स:** कई जीपीएस मैप्स ऑफलाइन मैप्स डाउनलोड करने की सुविधा देते हैं, जिससे आप बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी नेविगेट कर सकते हैं।

जीपीएस मैप्स के फायदे

- **सटीक नेविगेशन:** जीपीएस मैप्स सटीक और भरोसेमंद नेविगेशन प्रदान करते हैं, जिससे आप बिना किसी परेशानी के अपने गंतव्य तक पहुँच सकते हैं।
- **समय की बचत:** ट्रैफिक अपडेट्स और शॉर्टकट्स की जानकारी देकर जीपीएस मैप्स आपकी यात्रा का समय बचाते हैं।
- **सुरक्षा:** जीपीएस मैप्स आपको सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं, जिससे आपकी यात्रा सुरक्षित रहती है।
- **सुविधा:** जीपीएस मैप्स यात्रा की योजना बनाने, नए स्थानों की खोज करने और अपनी मंजिल तक आसानी से पहुँचने में सहायता करते हैं।

लोकप्रिय जीपीएस मैप एप्लिकेशन

- **गूगल मैप्स (Google Maps):** गूगल मैप्स सबसे लोकप्रिय जीपीएस मैप एप्लिकेशन है, जो नेविगेशन, ट्रैफिक अपडेट्स, लोकेशन सर्च, और ऑफलाइन मैप्स की सुविधा प्रदान करता है।
- **एप्पल मैप्स (Apple Maps):** एप्पल मैप्स iOS उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है और सटीक नेविगेशन, ट्रैफिक जानकारी, और इंटिग्रेशन के साथ आता है।
- **वेज़ (Waze):** वेज़ एक सोशल जीपीएस मैप एप्लिकेशन है जो उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई ट्रैफिक और सड़क की जानकारी का उपयोग करता है।
- **मैपक्वेस्ट (MapQuest):** मैपक्वेस्ट ट्रैफिक जानकारी, टर्न-बाई-टर्न नेविगेशन, और ऑफलाइन मैप्स की सुविधा प्रदान करता है।
- **हियर वी गो (HERE WeGo):** हियर वी गो ऑफलाइन मैप्स, रियल-टाइम ट्रैफिक जानकारी, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिशा निर्देश प्रदान करता है।
- **मैप माई इण्डिया (Map My India):** यह ऑनलाइन/ऑफलाइन मैप्स, ट्रैफिक जानकारी, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिशा निर्देश प्रदान करता है।

जीपीएस मैप का उपयोग कैसे करें-

- **एप्लिकेशन डाउनलोड करें:** सबसे पहले अपने स्मार्टफोन या डिवाइस पर जीपीएस मैप एप्लिकेशन डाउनलोड करें, जैसे गूगल मैप्स या एप्पल मैप्स।
- **लोकेशन सेवाएं सक्षम करें:** अपने डिवाइस की सेटिंग्स में जाकर लोकेशन सेवाएं (GPS) सक्षम करें।
- **गंतव्य दर्ज करें:** जीपीएस मैप एप्लिकेशन खोलें और अपना गंतव्य दर्ज करें।
- **मार्ग चुनें:** एप्लिकेशन द्वारा सुझाए गए मार्गों में से एक का चयन करें।
- **नेविगेशन शुरू करें:** "नेविगेट" बटन पर क्लिक करें और दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें।
- जीपीएस मैप्स आधुनिक जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गए हैं, जिससे यात्रा करना, नए स्थानों की खोज करना, और सटीक दिशा निर्देश प्राप्त करना बेहद आसान हो गया है।
- यूपी 112 के द्वितीय चरण में वाहनों की लोकेशन प्राप्त करने हेतु मैप माई इण्डिया (Map My India) का ऑनलाइन जीपीएस मैप सभी दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों में प्रयोग किया जा रहा है।

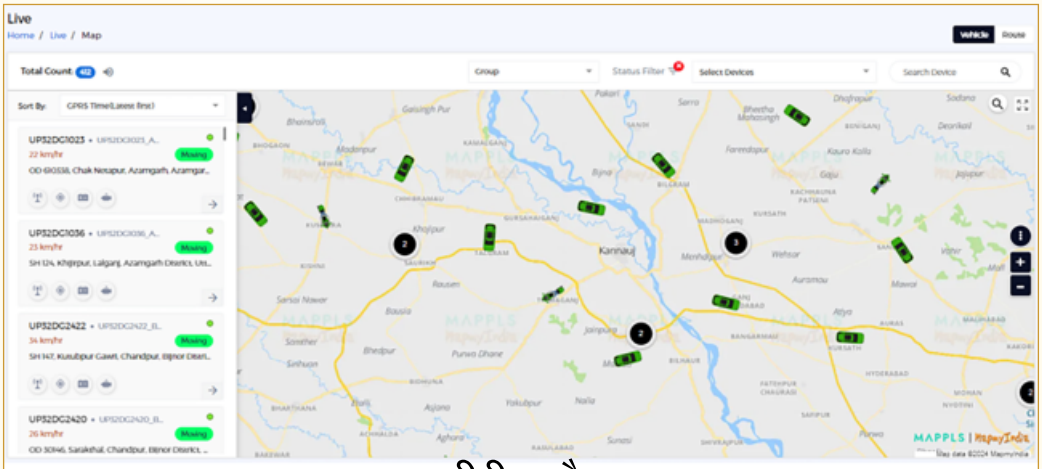

जीपीएस मैप

11. मोबाइल डाटा टर्मिनल (Mobile Data Terminal)

इमरजेंसी पुलिस रिस्पांस वाहन (Emergency Police Response Vehicle) में उपयोग किए जाने वाले मोबाइल डेटा टर्मिनल (Mobile Data Terminal, MDT) डिवाइस पुलिस अधिकारियों को वास्तविक समय में डेटा एक्सेस करने, संचार करने और विभिन्न प्रशासनिक कार्यों को पूर्ण करने में मदद करते हैं।

मोबाइल डेटा टर्मिनल (MDT) के उपयोग

- **रियल-टाइम संचार:** MDT के माध्यम से पुलिस अधिकारी डिस्पैचर और अन्य अधिकारियों के साथ रियल-टाइम संचार कर सकते हैं, जो घटनास्थल पर त्वरित और समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करता है।
- **डेटा एक्सेस:** पुलिस अधिकारी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे क्रिमिनल रिकॉर्ड, वाहनों की पंजीकरण जानकारी, और वारंट्स को तुरंत एक्सेस कर सकते हैं।
- **जीपीएस ट्रैकिंग:** MDT में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम होता है, जो वाहन की सटीक लोकेशन की निगरानी करता है और सबसे तेज और सुरक्षित मार्ग सुझाता है।
- **रिपोर्टिंग और दस्तावेज़ीकरण:** अधिकारी घटनास्थल पर ही रिपोर्ट बना सकते हैं, दस्तावेज़ स्कैन कर सकते हैं, और फोटो ले सकते हैं, जिससे कागजी कार्यवाही कम होती है और डेटा की सटीकता बढ़ती है।
- **इमरजेंसी अलर्ट:** MDT अधिकारियों को इमरजेंसी अलर्ट भेजने और प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे तत्काल प्रतिक्रिया सुनिश्चित होती है।

MDT के मुख्य घटक

- **हार्डवेयर:** MDT में आमतौर पर एक टैबलेट या लैपटॉप, टचस्क्रीन डिस्प्ले, कीबोर्ड, जीपीएस मॉड्यूल, और वायरलेस संचार मॉड्यूल (जैसे LTE, 4G/5G) शामिल होते हैं।
- **सॉफ्टवेयर:** विशेष रूप से डिजाइन किए गए सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन जो पुलिस कार्यों के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे कि CAD (Computer-Aided Dispatch), RMS (Records Management System), और मैपिंग सॉफ्टवेयर।
- **कनेक्टिविटी:** हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए LTE या 5G मॉड्यूल, जिससे अधिकारी हर समय कनेक्टेड रहते हैं।

MDT के लाभ

- **दक्षता में वृद्धि:** रियल-टाइम डेटा एक्सेस और संचार से पुलिस कार्यों की दक्षता में वृद्धि होती है।
- **बेहतर निर्णय क्षमता:** त्वरित और सटीक जानकारी से अधिकारियों को बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है।
- **सुरक्षा में सुधार:** इमरजेंसी अलर्ट और जीपीएस ट्रैकिंग से अधिकारी और जनता दोनों की सुरक्षा में सुधार होता है।
- **समय की बचत:** ऑन-साइट रिपोर्टिंग और दस्तावेज़ीकरण से समय की बचत होती है और कागजी कार्यवाही में कमी आती है।

यूपी 112 के द्वितीय चरण में चार पहिया वाहनों में एप्पल आई पैड तथा दो पहिया वाहनों में सैमसंग मोबाइल फोन मोबाइल डेटा टर्मिनल डिवाइस के रूप में दिया गया है।

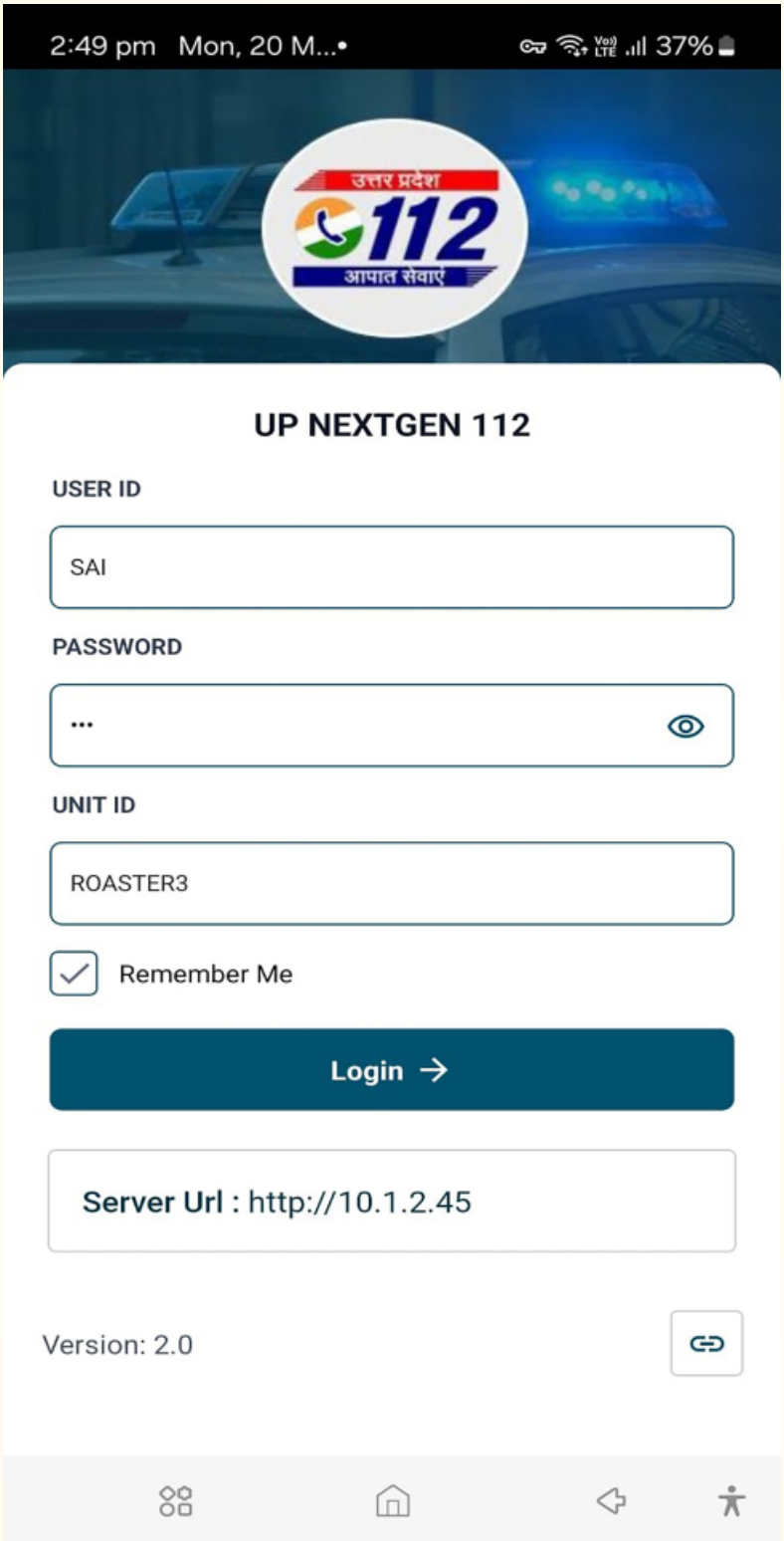
2:49 pm Mon, 20 M...
37%
उत्तर प्रदेश
112
आपात सेवाएं
UP NEXTGEN 112
USER ID
SAI
PASSWORD
...
UNIT ID
ROASTER3
Remember Me
Login
Server Url : http://10.1.2.45
Version: 2.0

12. एकीकरण (Integration)

आपातकालीन पुलिस सहायता सेवाओं के साथ अग्निशमन और चिकित्सा सेवाओं जैसी आपातकालीन सेवाओं को एकीकृत करने से कई लाभ हैं जो समग्र सार्वजनिक सुरक्षा, परिचालन दक्षता और सामुदायिक कल्याण को बढ़ाते हैं। एकीकरण के कुछ प्रमुख लाभ निम्न हैं:

बेहतर प्रतिक्रिया समय

- **सुव्यवस्थित संचार:** एकीकृत प्रणालियाँ विभिन्न आपातकालीन सेवा इकाइयों के बीच तेज़ और अधिक कुशल संचार को सक्षम बनाती हैं, जिससे प्रतिक्रिया में देरी कम होती है।
- **समन्वित प्रेषण:** एक एकीकृत प्रेषण प्रणाली निकटतम और सबसे उपयुक्त संसाधनों को तेजी से प्राथमिकता और तैनात कर सकती है।

संवर्धित संसाधन उपयोग

- **साझा संसाधन:** कर्मियों, वाहनों और उपकरणों जैसे संसाधनों को एकत्रित करने से सीमित संपत्तियों का अधिक प्रभावी उपयोग हो सकता है।
- **लागत दक्षता:** संयुक्त प्रशिक्षण और साझा सुविधाएं परिचालन लागत को कम करती हैं और प्रयासों के दोहराव से बचती हैं।

व्यापक घटना प्रबंधन

- **समग्र दृष्टिकोण:** एकीकृत सेवाएँ प्रारंभिक प्रतिक्रिया से लेकर अनुवर्ती कार्रवाई तक आपातकाल के सभी पहलुओं को अधिक व्यापक रूप से हल कर सकती हैं।
- **एकीकृत कमान संरचना:** प्रमुख घटनाओं के दौरान एक एकल कमान संरचना यह सुनिश्चित करती है कि सभी एजेंसियां स्पष्ट नेतृत्व के साथ सामान्य लक्ष्यों की दिशा में काम करें।

बेहतर प्रशिक्षण और तैयारी

- **संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम:** सहयोगात्मक प्रशिक्षण विभिन्न सेवाओं में कर्मियों के कौशल को बढ़ाता है, वास्तविक आपात स्थितियों के दौरान बेहतर टीम वर्क को बढ़ावा देता है।
- **मानकीकृत प्रोटोकॉल:** समान प्रक्रियाएं और प्रोटोकॉल अंतरसंचालनीयता में सुधार करते हैं और बहु-एजेंसी प्रतिक्रियाओं के दौरान भ्रम को कम करते हैं।

सार्वजनिक सुरक्षा और विश्वास में वृद्धि

- **विश्वसनीय सेवा वितरण:** एकीकृत सेवाएँ अक्सर अधिक विश्वसनीय और सुसंगत आपातकालीन प्रतिक्रियाएँ प्रदान करती हैं, जिससे जनता का विश्वास बढ़ता है।
- **सामुदायिक जुड़ाव:** समन्वित आउटरीच और शिक्षा कार्यक्रम समुदायों को आपात स्थिति के लिए बेहतर जानकारी दे सकते हैं और तैयार कर सकते हैं।

उन्नत प्रौद्योगिकी एकीकरण

- **साझा सूचना प्रणालियाँ:** एकीकृत आईटी प्रणालियाँ वास्तविक समय में डेटा साझा करने और सभी शामिल सेवाओं के लिए स्थितिजन्य जागरूकता में सुधार करने में सक्षम बनाती हैं।
- **नवोन्मेषी समाधान:** सहयोग नवप्रवर्तन को बढ़ावा देता है, जिससे पूर्वानुमानित विश्लेषण और स्मार्ट बुनियादी ढांचे जैसी उन्नत तकनीकों को अपनाया जाता है।

प्रभावी आपदा प्रबंधन

- **समन्वित योजना:** एकीकृत सेवाएँ आपदा प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति प्रयासों की अधिक प्रभावी ढंग से योजना बना सकती हैं और उन्हें क्रियान्वित कर सकती हैं, जिससे सामान्य स्थिति में शीघ्र वापसी सुनिश्चित हो सकती है।
- **संसाधन आवंटन:** बेहतर समन्वय बड़े पैमाने पर आपात स्थिति के दौरान संसाधनों के इष्टतम आवंटन की अनुमति देता है, बर्बादी को कम करता है और परिणामों में सुधार करता है।

कानूनी और विनियामक अनुपालन

- **एकीकृत अनुपालन:** एकीकृत प्रणालियाँ यह सुनिश्चित करने में मदद करती हैं कि सभी सेवाएँ प्रासंगिक कानूनों और विनियमों का पालन करती हैं, जिससे कानूनी मुद्दों का जोखिम कम हो जाता है।
- **मानकीकरण:** एजेंसियों के बीच लगातार प्रक्रियाएँ नियामक मानकों और आवश्यकताओं को पूरा करना आसान बनाती हैं।

उन्नत सामुदायिक स्वास्थ्य परिणाम

- **एकीकृत देखभाल मार्ग:** आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के साथ जोड़ने से घटनास्थल से अस्पताल तक रोगी की निर्बाध देखभाल सुनिश्चित होती है।
- **निवारक उपाय:** सहयोग निवारक उपायों और सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलों के अधिक प्रभावी कार्यान्वयन की अनुमति देता है।

आर्थिक लाभ

- **अतिरेक में कमी:** प्रयासों और संसाधनों के दोहराव को समाप्त करने से महत्वपूर्ण लागत बचत होती है।
- **आर्थिक स्थिरता:** कुशल आपातकालीन सेवाएँ एक स्थिर और सुरक्षित वातावरण में योगदान करती हैं, जो आर्थिक गतिविधियों और सामुदायिक लचीलेपन के लिए फायदेमंद है।

कुल मिलाकर, आपातकालीन सेवाओं के एकीकरण से अधिक प्रभावी, कुशल और एकजुट प्रतिक्रिया प्रणाली बनती है, जिससे अंततः सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ती है।

यूपी112 के प्रथम चरण से ही कतिपय आपातकालीन सेवाओं का एकीकरण किया गया जिसे द्वितीय चरण में और बढ़ाया गया है। विभिन्न विभागों से एकीकरण का विवरण निम्नानुसार है-

#	DESCRIPTION (Integrations enumerated in SI-II bid)	EXISTING INEGRATIONS	PROPOSED INEGRATIONS	HELP LINE Nos.
1	Integration of **Smart Cities**	Available with Lucknow only	Proposed	
2	Integration of **Safe Cities**		Proposed	
3	**WCSO-1090** [Women and Child Security Organisation]Available 1090	Available		1090
4	**CRIS** Integration (Centre for Railway Information Systems]		Proposed	
5	**Metro** Safety Integration (Lucknow, Agra, Gorakhpur, Kanpur)		Proposed	
6	**Disaster** helpline Integration		Proposed	1070
7	**NHAI** Helpline Integration		Proposed	1033
8	**UPEIDA** Helpline Integration [U.P. Expressways Industrial Development Authority]		Proposed	
9	**YEIDA** Helpline Integration [Yamuna Expressways Industrial Development Authority]		Proposed	
10	**Fire** Integration	Available		101
11	**SDRF** Integration		Proposed	
12	**GRP** Integration	Available		
13	**CM Helpline** Integration		Proposed	1076
14	**VC at SP /SSPs/ Commissionerate** offices		Proposed	
15	**UP COP** Integration		Proposed	

#	DESCRIPTION (Integrations enumerated in SI-II bid)	EXISTING INEGRATION	PROPOSED INEGRATION	HELP LINE No.
OTHER HELPLINES				
1	Women Helpline /Child Helpline	Available		**181/1098**
2	Kumbh Helpline			
3	Cyber Helpline	Available		**1930**
4	UPSRTC Helpline		Proposed	
5	Medical Services (Ambulance)	Available		108
6	Railway Protection Force (RPF)		Proposed	
7	112 SOS Mobile App	Available		
8	CCTNS		Proposed	
9	LINK	Available		

13. डैशबोर्ड (Dashboard)

कैड (CAD - Computer-Aided Dispatch) एप्लिकेशन डैशबोर्ड और मैप माई इंडिया (MapmyIndia) डैशबोर्ड दोनों ही अत्याधुनिक डैशबोर्ड हैं, जो पुलिस और इमरजेंसी सर्विसेज को प्रभावी और कुशलता से काम करने में मदद करते हैं।

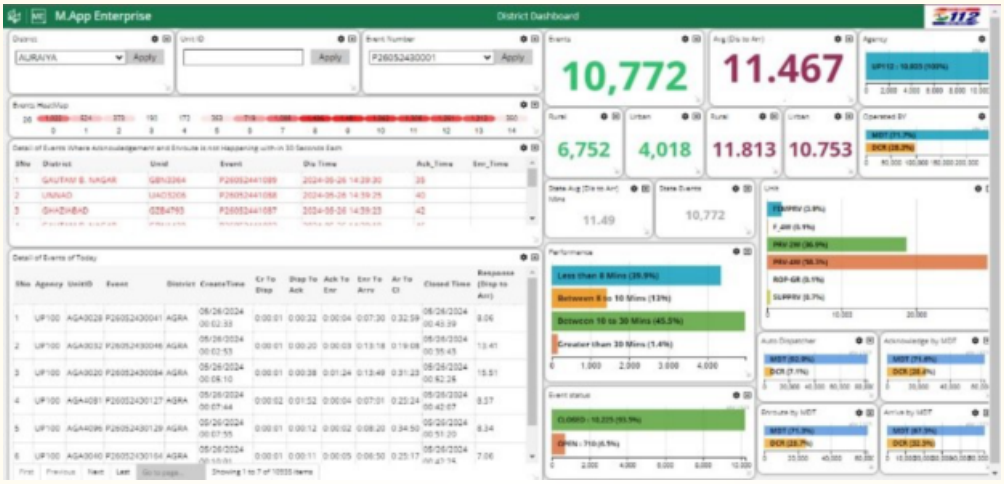

- CAD एप्लिकेशन डैशबोर्ड
- CAD (Computer-Aided Dispatch) एप्लिकेशन डैशबोर्ड एक केंद्रीकृत सॉफ़्टवेयर प्लेटफ़ॉर्म है जो इमरजेंसी सर्विसेज को घटनाओं का प्रबंधन करने, संसाधनों का समन्वय करने और त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने में मदद करता है।

प्रमुख विशेषताएं:

- रियल-टाइम डिस्पैचिंग:
- इमरजेंसी कॉल्स का रियल-टाइम प्रबंधन।
- घटनाओं की प्राथमिकता निर्धारण और त्वरित संसाधन आवंटन।

इंटीग्रेटेड मैपिंग:

- घटनास्थल की सटीक लोकेशन ट्रैकिंग।
- रास्तों की योजना बनाना और ट्रैफिक अपडेट्स देखना।

डाटा मैनेजमेंट:

- घटनाओं का रिकॉर्ड रखना।
- रिपोर्ट जनरेट करना और डेटा एनालिटिक्स करना।

यूनिट ट्रैकिंग:

- पुलिस और अन्य इमरजेंसी यूनिट्स की रियल-टाइम ट्रैकिंग।
- यूनिट्स की स्थिति और उपलब्धता का प्रबंधन।

लाभ:

- प्रतिक्रिया समय में कमी: त्वरित और सटीक जानकारी के माध्यम से।
- बेहतर संसाधन प्रबंधन: उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग।
- डेटा-चालित निर्णय: एनालिटिक्स और रिपोर्टिंग के माध्यम से बेहतर निर्णय लेना।

MapmyIndia डैशबोर्ड

MapmyIndia डैशबोर्ड एक व्यापक जीआईएस (Geographic Information System) और लोकेशन-आधारित सेवाएं प्रदान करने वाला प्लेटफ़ॉर्म है। यह विशेष रूप से भारत के लिए डिजाइन किया गया है और विस्तृत मैपिंग और नेविगेशन सेवाएं प्रदान करता है।

प्रमुख विशेषताएं:

विस्तृत मैपिंग:

- ❖ भारत के विस्तृत और सटीक नक्शे।
- ❖ रियल-टाइम ट्रैफिक अपडेट्स और सड़कों की जानकारी।

लोकेशन-आधारित सेवाएं:

- ❖ नेविगेशन और मार्ग निर्देशन।
- ❖ प्वाइंट्स ऑफ इंटरेस्ट (POIs) की जानकारी।

कस्टम मैप्स:

- ❖ उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं के अनुसार कस्टमाइज्ड मैप्स।
- ❖ विशेष क्षेत्रों की विस्तृत मैपिंग।

इंटीग्रेशन:

- ❖ अन्य सॉफ़्टवेयर और प्लेटफ़ॉर्म के साथ आसान इंटीग्रेशन।
- ❖ API सेवाएं जो विभिन्न एप्लिकेशन्स में लोकेशन फीचर्स को इंटीग्रेट करने में मदद करती हैं।

लाभ:

- ❖ सटीक और विश्वसनीय डेटा: विस्तृत और सटीक मैपिंग से।
- ❖ उपयोगकर्ता-अनुकूल: इंटरफ़ेस और उपयोग में आसान नेविगेशन।
- ❖ व्यापक कवरेज: पूरे भारत में विस्तृत नक्शे और जानकारी।

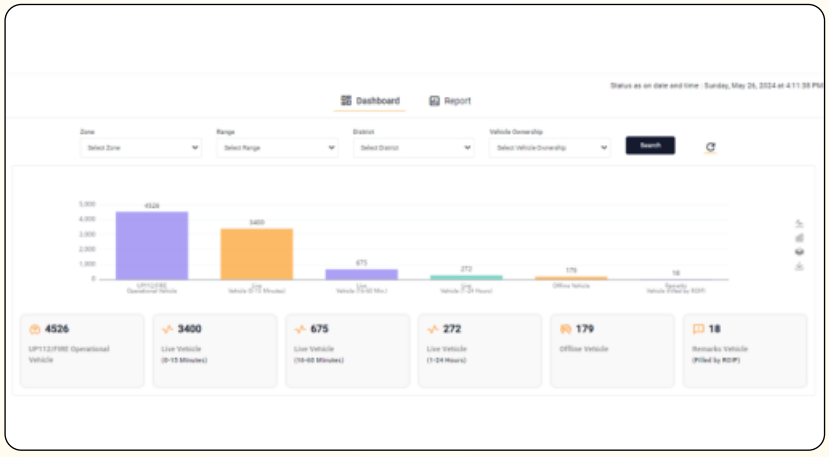

CAD एप्लिकेशन डैशबोर्ड और MapmyIndia डैशबोर्ड दोनों ही पुलिस और इमरजेंसी सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर हैं। CAD डैशबोर्ड इमरजेंसी रिस्पांस को प्रभावी और कुशल बनाने में मदद करता है, जबकि MapmyIndia डैशबोर्ड सटीक और विस्तृत लोकेशन डेटा प्रदान करता है। इन दोनों सॉफ्टवेयर का संयुक्त उपयोग इमरजेंसी सेवाओं की समग्र कार्यक्षमता और प्रतिक्रिया समय में सुधार करता है, जिससे सार्वजनिक सुरक्षा और सेवा में महत्वपूर्ण सुधार होता है।

14. पुलिस प्रतिक्रिया वाहन (Police Response Vehicles)

पुलिस प्रतिक्रिया वाहन (Police Response Vehicles) में चार पहिया और दो पहिया वाहन दोनों शामिल हैं। ये वाहन पुलिस बल को त्वरित और प्रभावी तरीके से प्रतिक्रिया देने में मदद करते हैं।

चार पहिया पुलिस प्रतिक्रिया वाहन

विशेषताएं:

- **उच्च गति और शक्ति:** चार पहिया वाहनों में अधिक शक्ति और गति होती है, जिससे वे जल्दी घटनास्थल पर पहुंच सकते हैं।
- **अधिक उपकरण और स्टोरेज:** इन वाहनों में अधिक उपकरण और अन्य आवश्यक सामग्री को रखने की पर्याप्त जगह होती है।
- **उपकरण:** इन वाहनों में संचार उपकरण, कैमरा, हथियार और मेडिकल किट जैसी आवश्यक चीजें होती हैं। यूपी 112 के चार पहिया वाहनों में कुल 20 उपकरण दिये गये हैं।
- **बहुउद्देशीय उपयोग:** पेट्रोलिंग, आपातकालीन प्रतिक्रिया, और विशेष अभियानों के लिए उपयोगी।
- **सुरक्षा और आराम:** अधिकारी अधिक सुरक्षित और आरामदायक महसूस करते हैं, विशेषकर लंबी ड्यूटी के दौरान।

दो पहिया पुलिस प्रतिक्रिया वाहन

विशेषताएं:

- **तेजी और सुगमता:** दो पहिया वाहन ट्रैफिक में तेजी से नेविगेट कर सकते हैं और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में आसानी से पहुंच सकते हैं।
- **लचीलापन:** इन वाहनों को तंग जगहों और संकीर्ण गलियों में चलाना आसान होता है।
- **किफायती:** दो पहिया वाहन अपेक्षाकृत कम खर्चीले होते हैं और उनका रखरखाव भी आसान होता है।
- **उपकरण:** ये वाहन आवश्यक संचार उपकरण, लाइट्स और सायरन से सुसज्जित होते हैं। यूपी 112 के चार पहिया वाहनों में कुल 17 उपकरण दिये गये हैं।
- **तेज प्रतिक्रिया समय:** ट्रैफिक जाम या संकीर्ण रास्तों में तेजी से पहुंच सकते हैं, जिससे प्रतिक्रिया समय में कमी आती है।
- **पेट्रोलिंग में उपयोगी:** नियमित पेट्रोलिंग, ट्रैफिक नियंत्रण, और छोटे अपराधों की जांच के लिए अत्यधिक उपयोगी।
- **लागत प्रभावी:** इनका संचालन और रखरखाव सस्ता होता है, जिससे बजट पर कम बोझ पड़ता है।

चार पहिया वाहन बड़े और गंभीर घटनाओं के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं, जबकि दो पहिया वाहन त्वरित प्रतिक्रिया और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में संचालन के लिए आदर्श होते हैं। यूपी 112 के द्वितीय चरण में पुलिस बल को प्रभावी और कुशल बनाने के लिए 4278 चार पहिया एवं 2000 दो पहिया वाहनों की व्यवस्था विभिन्न परिस्थितियों में त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित किये जाने हेतु की गयी है।

पुलिस प्रतिक्रिया वाहन चार पहिया एवं दो पहिया वाहनों के उपकरण :

4 Wheeler		2 Wheeler	
#	Description	#	Description
1	LED Light Bar integrated speaker, Amplifier, High Pitch Siren and PA system with Installation accessories.	1	LED Flashing Light with Installation Accessories
2	Fire Extinguisher	2	PA System Integrated with PTT, Speaker and High Pitch Siren with Installation accessories
3	Crime Scene Protection Kit	3	Torch with rechargeable battery
4	Water Container (minimum 10 Litre)	4	Holders for Caps, Lathis, Helmet etc.
5	Mobile Charging Cable (multi lead)	5	Utility Box for bike
6	Ropes	6	Water container 1 Litre
7	Torch with rechargeable battery	7	Mobile Charging Cable (multi lead)
8	Basic First Aid Kit	8	Helmet
9	Reflective Jacket	9	Basic First Aid Kit
10	Raincoat	10	Raincoat
11	Disposable sheet cover	11	Reflective Jackets
12	Car Accessories	12	Branding
13	Branding	13	Fabrication
14	Fabrication	14	GPS Device
15	GPS Device	15	Body worn Camera
16	Body worn Camera	16	Wireless Set
17	Wireless Set	17	MDT/Mobile Phone
18	MDT		
19	Mobile Phone		
20	Vehicle Mobile Camera		

15. Standard Operating Procedure (SOP)

मुख्यालय यूपी-112, उत्तर प्रदेश पुलिस

112 भवन, 7/13, गोमती नगर विस्तार, शहीद पथ, लखनऊ e-mail: iteccs-up@gov.in

पत्र संख्या:यूपी-112-23(04)2024/२१२१ दिनांक: मई , 2024

सेवा में,

समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
समस्त पुलिस आयुक्त/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

विषय- आपातकालीन सेवाएं यूपी-112 के Vehicle Mounted Camera एवं Body Worn Camera की एसओपी के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि शासन द्वारा अनुमोदित यूपी-112 की आरएफपी में आपातकालीन सेवाएं यूपी-112 के कतिपय चार पहिया वाहनों हेतु Vehicle Mounted Camera तथा सभी चार पहिया एवं दो पहिया वाहनों के लिए एक-एक Body Worn Camera की व्यवस्था की गयी है।

2. स्पष्ट है कि उक्त कैमरों के माध्यम से आमजन की आपातकालीन परिस्थितियों आदि से सम्बन्धित रिकार्डिंग का कार्य किया जाना है, इसलिए सम्पूर्ण कार्य संचालन में एकरूपता के उद्देश्य से 'मानक संचालन प्रक्रिया' का निर्धारण किया गया है। 'मानक संचालन प्रक्रिया' के अन्तर्गत मुख्य रूप से निम्न दायित्व निर्धारित किये गये हैं-

क्र.	अधिकारी	दायित्व
1.	पीआरवी कार्मिक	• पुलिस वर्दी में कर्तव्यरत रहने के दौरान संलग्न विस्तृत दिशा-निर्देशों के अनुसार Vehicle Mounted Camera एवं Body Worn Camera के संचालन एवं वीडियो/फोटो रिकॉर्डिंग के लिये उत्तरदायी होंगे। • प्रत्येक शिफ्ट की शुरुआत में उपयोगकर्ता पुलिस कर्मी कैमरों को ठीक से चेक करेंगे और यह पुष्टि करेगे कि कैमरे सही ढंग से कॉन्फ़िगर किये गये हैं और ठीक से काम कर रहे हैं। उपकरण की खराबी, क्षति, हानि या चोरी की सूचना तुरंत पर्यवेक्षक अधिकारी को दी जाएगी। • उपयोगकर्ता पुलिस कर्मी कैमरों को सक्रिय करेगा जब भी उसे लगता है कि इसका उपयोग आगे के कानून प्रवर्तन उद्देश्यों के लिए उचित है। • बल प्रयोग की घटना या अन्य टकराव वाले नागरिक संपर्क की आशंका में जानबूझकर सिस्टम को बंद करना पूरी तरह से निषिद्ध है, और इसके परिणामस्वरूप सेवा समाप्ति तक अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। • Vehicle Mounted Camera व Body Worn Camera रिकॉर्डिंग प्रणाली की नियमित समीक्षा करेंगे कि सिस्टम ठीक से काम कर रहा है और रिकॉर्डिंग संलग्न एसओपी के निर्देशों व नीतियों के अनुरूप हो रही है। • यदि Vehicle Mounted Camera अथवा Body Worn Camera का कोई हिस्सा खो जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो पुलिस कर्मियों को तुरंत अपने पर्यवेक्षक को सूचित करना चाहिए और घटना को लिखित रूप में दर्ज करना चाहिए।
2.	पर्यवेक्षण अधिकारी (प्रभारी, आरओआईपी)	• सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी सोशल मीडिया या सार्वजनिक वेबसाइट पर रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं की जायेगी। • रिकॉर्ड किए गए वीडियो की आमतौर पर अधिकारी की शिफ्ट के दौरान समय-समय पर समीक्षा की जाय।

क्र.	अधिकारी	दायित्व
		• एसओपी में उल्लिखित Vehicle Mounted Camera अथवा Body Worn Camera को सक्रिय करने में विफलता, रिकॉर्डिंग को ठीक से बनाए न रख और संग्रहीत न करने, या सिस्टम के दुरुपयोग या दुरुपयोग के परिणामस्वरूप आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
3.	जनपदीय अपर पुलिस अधीक्षक/ नोडल अधिकारी, यूपी-112	• सिस्टम निर्माता के निर्देशों के अनुसार संचालित और रखरखाव किया जा रहा है। • सक्षम प्राधिकारी या नामित व्यक्ति की पूर्व लिखित मंजूरी के बिना किसी भी सोशल मीडिया साइट पर फुटेज पोस्ट करना सख्त वर्जित है और इसके लिए अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। • जनपदीय स्तर पर पीटीज़ेड कैमरों को केन्द्रीय रूप से URL द्वारा देखे जाने व यूपी-112 की MPLS Connectivity के माध्यम से कैमरों की लाइव मॉनीटरिंग तथा प्ले-बैक कार्य।
4.	पुलिस आयुक्त/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक	• उपयोगकर्ता पुलिस कर्मी/अधिकारी, पुलिस अधीक्षक/यूनिट के प्रमुख को लिखित रूप में अनुरोध कर सकते हैं कि पूरी तरह से व्यक्तिगत प्रकृति की किसी भी विशिष्ट अनजाने रिकॉर्डिंग को हटा दिया जाए। प्राधिकृत अधिकारी अनुरोध और रिकॉर्डिंग की समीक्षा करेगा। यदि रिकॉर्डिंग पूरी तरह से व्यक्तिगत है और इसका कोई उद्देश्य नहीं है जैसा कि इस एसओपी द्वारा अपेक्षित है तो इसे हटा दिया जाएगा और ऐसे विलोपन की एक रिपोर्ट रखी जाएगी। • किसी भी सोशल मीडिया या सार्वजनिक वेबसाइट पर रिकॉर्डिंग समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर बिना सम्यक विचारोपरान्त अपलोड नहीं की जायेगी। यदि आवश्यक समझा जाय तो उच्च स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया जाय। • रिकॉर्डिंग सिस्टम द्वारा उत्पन्न किसी भी डिजिटल रिकॉर्डिंग सेगमेंट की प्रतिलिपि बनाना, प्रसारित करना या अन्य पुनरुत्पादन करना, या ऐसी रिकॉर्डिंग को बाहर हटाना। यदि आवश्यक समझा जाय तो उच्च स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

3. उल्लेख करना है कि उक्त कैमरों के संचालन हेतु आवश्यक ऑनलाइन एवं व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षण मुख्यालय यूपी 112 द्वारा जनपदीय आरओआईपी में नियुक्त स्टाफ को स्थानीय प्रशिक्षण सम्पर्क सूत्र (ToT) के तौर पर करा दिया गया है। उक्त प्रशिक्षित जनपदीय आरओआईपी कार्मिकों के माध्यम से आवश्यक प्रशिक्षण स्थानीय तौर पर आयोजित करा लिये जायें।

अत: अनुरोध है कि उक्तानुसार आपातकालीन सेवाएं यूपी-112 के Vehicle Mounted Camera एवं Body Worn Camera के सम्बन्ध में संलग्न विस्तृत 'मानक संचालन प्रक्रिया' (एसओपी) के अनुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि (कुल-12 वर्क)।

2415

(नीरा रावत)

अपर पुलिस महानिदेशक, यूपी 112

प्रतिलिपिः-

1. अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिदेशक के जीएसओ, उ.प्र. को पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के संज्ञानार्थ सादर प्रेषित।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ.प्र. को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ.प्र.।
2. पुलिस उपमहानिरीक्षक, मुख्यालय, यूपी-112 मुख्यालय, उ.प्र.।
3. पुलिस उपमहानिरीक्षक, दूरसंचार, यूपी-112 मुख्यालय, उ.प्र.।
4. पुलिस अधीक्षक, प्रशिक्षण, यूपी-112 मुख्यालय, उ.प्र.।
5. समस्त जनपदीय अपर पुलिस अधीक्षक/नोडल अधिकारी, यूपी-112, उ.प्र.।

उत्तर प्रदेश में यूपी-112 के पीआरवी वाहनों को उपलब्ध कराये गये व्हीकल माउण्टेड पीटीज़ेड कैमरा (Vehicle Mounted PTZ Camera) के संचालन हेतु "मानक संचालन प्रकिया"

---

1. **सामान्य (General) :** अपराधों की अभियोजन प्रक्रिया, साक्ष्य संकलन, पुलिस कर्मियों को झूठे आरोपों से बचाने, प्रशिक्षण और पुलिस गतिविधियों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने में पीटीज़ेड कैमरों की रिकॉर्डिंग महत्वपूर्ण साबित हुई है। पीटीज़ेड कैमरों की उपयोगिता को सिद्ध करने के लिए, पुलिस कर्मियों को पीटीज़ेड कैमरों द्वारा रिकॉर्डिंग की प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।
2. **उद्देश्य (Purpose) :** इस मानक संचालन प्रक्रिया का उद्देश्य पीटीज़ेड कैमरों के उचित उपयोग, देखभाल और रख-रखाव के लिए दिशा-निर्देश स्थापित करना है। यह साक्ष्यों के संग्रह और दस्तावेज़ीकरण के लिए एक रूपरेखा भी प्रदान करता है।
3. **दायरा (Scope) :** यह प्रक्रिया पुलिस विभाग के उन सभी कर्मचारियों/अधिकृत व्यक्तियों पर लागू होगी, जिन्हें ऑडियो और वीडियो दोनों रिकॉर्ड करने के लिए डिज़ाइन किया गया पीटीज़ेड कैमरा उपलब्ध कराया गया है।
4. **परिभाषाएँ (Definitions) :**

4.1 सक्रिय करें: पीटीज़ेड कैमरों को निष्क्रिय रिकॉर्डिंग से सक्रिय रिकॉर्डिंग मोड में स्विच करने हेतु ऑन करना होगा।

4.2 सक्रिय रिकॉर्डिंग मोड: वीडियो और ऑडियो को घटना आधारित मीडिया में कैप्चर करना।

4.3 पीटीज़ेड कैमरा : विभाग द्वारा निर्गत एक उपकरण जिसे वाहन पर लगाया जाता है।

4.4 पर्यवेक्षक अधिकारी: पीटीज़ेड कैमरों से संबंधित प्रक्रिया की निगरानी के लिए पीटीज़ेड कैमरों का संचालन करने वाले पुलिस कर्मियों से वरिष्ठ कोई भी अधिकृत अधिकारी। यूपी-112 के जनपदीय आरओआई प्रभारी निरीक्षक पर्यवेक्षक अधिकारी माने जायेंगे।

5. **सामान्य निर्देश (Ordinary Instructions) :**

5.1 विभाग द्वारा निर्गत पीटीज़ेड कैमरों का उपयोग आधिकारिक तौर पर व पुलिस वर्दी में कर्तव्यरत रहने के दौरान किये जाने के लिए अधिकृत है। पीटीज़ेड कैमरों का उपयोग व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाएगा।\

5.2 ड्यूटी के दौरान गैर-विभागीय निर्गत पीटीज़ेड कैमरों या किसी भी अन्य रिकॉर्डिंग डिवाइस का उपयोग सख्त वर्जित है।

5.3 पीटीज़ेड कैमरों के संचालन के लिए अधिकृत होने से पहले अधिकारियों को आवश्यक प्रशिक्षण पूरा करना होगा।

5.4 पीटीज़ेड कैमरे और सहवर्ती उपकरण द्वारा कैप्चर किए गए/रिकॉर्ड किए गए या अन्यथा उत्पादित सभी डेटा, चित्र, वीडियो और मेटाडेटा पुलिस विभाग की अधिकारिक संपत्ति है और उसे पुलिस मुख्यालय या किसी नामित नोडल इकाई द्वारा निर्गत निर्देशों, लागू कानूनों के अनुसार सुरक्षित रूप से संग्रहीत और बनाए रखा जाएगा।

5.5 विभाग के कार्मिक बिना पूर्व अधिकारिता के किसी भी प्रारूप में पीटीज़ेड कैमरों की रिकॉर्डिंग को संपादित, परिवर्तित, मिटाने, डुप्लिकेट, कॉपी, साझा या अन्यथा वितरित नहीं करेंगे।

5.6 पीटीज़ेड कैमरों एवं सहवर्ती उपकरणों को हमेशा अधिकृत अधिकारी के अधीन रखा जाएगा।

6. **प्रक्रियाएं (Procedures):** पीटीज़ेड कैमरों एवं सहवर्ती उपकरणों हेतु पुलिस कर्मी निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन करेंगे:

6.1 प्रशिक्षण (Training):

6.1.1 पुलिस कर्मियों को पीटीज़ेड कैमरों एवं सहवर्ती उपकरण निर्गत करने से पहले निर्देश के आवश्यक ब्लॉक को पूरा करना होगा। प्रशिक्षण में मूल निर्माता द्वारा अनुशंसित, उपकरण के सभी पहलुओं और अपलोड, प्रक्रिया से परिचित होना शामिल होगा।

6.2 जारी एवं परिचालन जांच (Issue and Operational Checks):

6.2.1 प्रत्येक शिफ्ट की शुरुआत में उपयोगकर्ता पुलिस कर्मी पीटीज़ेड कैमरों को प्रतिदिन ठीक से चेक करेंगे। उपयोगकर्ता अधिकारी यह पुष्टि करेगा कि पीटीज़ेड कैमरा सही ढंग से काम कर रहा है। पीटीज़ेड कैमरों, उपकरण की खराबी, क्षति, हानि या चोरी की सूचना तुरंत पर्यवेक्षक अधिकारी को दी जाएगी।

6.2.2 किसी अधिकारी की शिफ्ट या असाइनमेंट के प्रारम्भ में, अतिरिक्त ड्यूटी और/या विशेष आयोजनों को शामिल करने के लिए, वे यह सुनिश्चित करेंगे कि रिकॉर्डिंग सिस्टम को पॉवर मिल रही है और ठीक से काम कर रही है। वे यह सुनिश्चित करने के लिए भी जाँच करेंगे कि रेडी स्टेटस लाइट चालू है।

6.2.3 अधिकारी प्राय: यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी शिफ्ट के दौरान डिवाइस पर स्टेटस लाइट चालू रहे।

6.3 ऑपरेशन्स (Operations):

6.3.1 पीटीज़ेड कैमरा एवं सहवर्ती उपकरण वाहन पर स्थित होगें।

6.3.2 जब भी किसी घटना पर यदि कोई वीडियो मददगार हो और उसे बनाया न गया हो तो विभाग एवं व्यक्तिगत रूप से पुलिस कर्मियों की जांच किए जाने की संभावना होगी। कर्मिकों द्वारा उनके कार्यों को समझाने में उनका विवेक और दस्तावेज़ीकरण सर्वोपरि होगा।

6.3.3 शामिल सभी पुलिस कर्मियों द्वारा, जब भी संभव हो, निम्नलिखित प्रकार की घटनाओं को एकत्र करने और रिकॉर्ड करने के लिए पीटीज़ेड कैमरों रिकॉर्डिंग सिस्टम का उपयोग किया जाएगा-

6.3.3.1 यातायात रुक जाय

6.3.3.2 पीछा करना- वाहन या पैदल

6.3.3.3 संभावित टकराव वाले नागरिक से संपर्क

6.3.3.4 शारीरिक गिरफ़्तारी

6.3.3.5 बल प्रयोग स्थितियों में

6.3.3.6 संदिग्ध वाहन/व्यक्ति कॉल

6.3.3.7 अलार्म प्रतिक्रियाएँ और भवन जाँच

6.3.3.8 कोई भी अन्य कानून प्रवर्तन गतिविधि जिसके बारे में अधिकारी को लगता है कि पीटीज़ेड कैमरों की रिकॉर्डिंग सिस्टम के उपयोग से लाभ हो सकता है। यदि कोई संदेह हो तो सिस्टम को सक्रिय कर देना चाहिए। ऐसा करने में असमर्थता और उपरोक्त किसी भी मामले में वीडियो रिकॉर्डिंग लागू न हो पाने की कमी को लिखित रूप में उचित सिद्ध किया जायेगा।

6.3.3.9 जब तक कि नीचे दिए गए पैराग्राफ (निषिद्ध रिकॉर्डिंग) में विशेष रूप से निषिद्ध न किया गया हो, कोई अधिकारी अपने पीटीज़ेड कैमरों को सक्रिय कर सकता है जब भी उन्हें लगता है कि इसका उपयोग आगे के कानून प्रवर्तन उद्देश्यों के लिए उचित है।

6.3.4 कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ पुलिस कर्मियों को चोट लगने, सबूत नष्ट होने या भागने से रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की स्थितियों में पुलिस कर्मियों को पीटीज़ेड कैमरों के रिकॉर्डिंग सिस्टम को सक्रिय करना चाहिए, यदि ऐसा करने से उन्हें या दूसरों को खतरा नहीं होता हो। यदि तत्काल सक्रियण संभव नहीं है, तो अधिकारी पहले उपलब्ध अवसर पर, जब तत्काल खतरे का समाधान हो जाए, कैमरा सक्रिय कर देगा।

6.3.5 रिकॉर्डिंग सिस्टम को पुलिस कर्मियों द्वारा मैन्युअल रूप से निष्क्रिय किया जा सकता है, जब उन्हें यथोचित विश्वास हो कि ऐसा करने से महत्वपूर्ण दस्तावेजी जानकारी का नुकसान नहीं होगा, सामरिक या गोपनीय चर्चाओं या ब्रीफिंग की सुरक्षा के लिए, या जब पर्यवेक्षक द्वारा ऐसा करने का निर्देश दिया जाता है। निष्क्रियता को वीडियो और रिपोर्ट में प्रलेखित किया जाएगा।

6.3.6 इस एसओपी में उल्लिखित पीटीज़ेड कैमरों के रिकॉर्डिंग सिस्टम को सक्रिय करने में विफलता, रिकॉर्डिंग को ठीक से बनाए न रखने और संग्रहीत न करने, या सिस्टम के दुरुपयोग या दुरुपयोग के परिणामस्वरूप अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

6.3.7 जब किसी घटना के दौरान रिपोर्ट की आवश्यकता होने पर वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है, तो रिपोर्ट को पीटीज़ेड कैमरा 'वीडियो उपलब्ध' के रूप में टैग किया जाना चाहिए।

6.3.8 बल प्रयोग की घटना या अन्य टकराव वाले नागरिक संपर्क की आशंका में जानबूझकर सिस्टम को बंद करना पूरी तरह से निषिद्ध है, और इसके परिणामस्वरूप सेवा समाप्ति तक अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।

6.4 निषिद्ध रिकॉर्डिंग (Prohibited Recordings): पीटीज़ेड कैमरों का उपयोग केवल आधिकारिक कानून प्रवर्तन कर्तव्यों के लिए किया जाएगा। पीटीज़ेड कैमरों का उपयोग निम्न रिकॉर्ड करने के लिए नहीं किया जाएगा-

6.4.1 सहकर्मियों/सहकर्मियों या किसी अन्य कानून प्रवर्तन अधिकारी, चाहे वह कनिष्ठ हो या वरिष्ठ, के साथ उनकी जानकारी या अनुमति के बिना संचार।

6.4.2 जब अधिकारी अवकाश पर हों या अन्यथा व्यक्तिगत गतिविधियों में संलग्न हों या जहां गोपनीयता की उचित अपेक्षा हो।

6.4.3 "नो रिकॉर्डिंग पॉलिसी" के अन्तर्गत।

6.4.4 गोपनीय मुखबिरों से मुठभेड़ के दौरान या किसी कानून के तहत परिभाषित आधिकारिक गोपनीयता की प्रकृति की किसी अन्य गतिविधि के दौरान।

6.4.5 कानून प्रवर्तन वार्तालापों/प्रक्रियाओं/सामरिक और रणनीतिक प्रकृति की योजनाओं से जुड़े संचार के लिए।

6.4.6 स्ट्रिप तलाशी को संयोजित करते समय।

6.4.7 किसी भी अनौपचारिक और सोशल मीडिया उद्देश्य के लिए अपनी या किसी की भी रिकॉर्डिंग।

6.5 रिकॉर्डिंग ख़त्म करना (Ending Recordings):

6.5.1 पीटीज़ेड कैमरों का उपयोगकर्ता पुलिस कर्मियों/अधिकारियों को केवल जनता के किसी सदस्य की मांग पर किसी घटना, स्थिति, परिस्थिति की रिकॉर्डिंग बंद करने की आवश्यकता नहीं है। अपराध के शिकार लोग अपवाद हैं; एक बार जब घटना स्थल स्थिर हो जाता है और सुरक्षा संबंधी चिंता समाप्त हो जाती है तो बातचीत में एक अधिकारी को पीड़ित के अनुरोध पर कैमरा निष्क्रिय कर देना चाहिये।

6.5.2 पीटीज़ेड कैमरों के उपयोगकर्ता को निवास जैसे किसी स्थान पर गोपनीयता की उचित अपेक्षा रखने वाले व्यक्ति द्वारा विशेष रूप से अनुरोध किए जाने पर पीटीज़ेड कैमरों को निष्क्रिय कर देना चाहिए।

6.5.3 पीटीज़ेड कैमरों के उपयोगकर्ता पुलिस कर्मी/अधिकारी किसी रिकॉर्डिंग को समाप्त कर सकते हैं, यदि व्यक्ति गुमनाम रूप से किसी अपराध की रिपोर्ट करना चाहता है या कानून प्रवर्तन जांच में सहायता करना चाहता है, कैमरा बंद करने का अनुरोध करता है या अधिकारी का मानना है कि रिकॉर्डिंग समाप्त करने से जांच के उद्देश्य के लिए आवश्यक जानकारी के आदान-प्रदान में आसानी होगी।

6.5.4 जो अधिकारी इस एसओपी में अपेक्षित किसी घटना की रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे, उन्हें रिकॉर्डिंग बंद करने का कारण दर्ज करना होगा और मांगे जाने पर अपनी रिपोर्ट जमा करनी होगी।

6.6 अनजाने रिकॉर्डिंग (Inadvertent Recordings):

पीटीज़ेड कैमरों के उपयोगकर्ता पुलिस कर्मी/अधिकारी, पुलिस अधीक्षक/यूनिट के प्रमुख को लिखित रूप में अनुरोध कर सकते हैं कि पूरी तरह से व्यक्तिगत प्रकृति की किसी भी विशिष्ट अनजाने रिकॉर्डिंग को हटा दिया जाए। प्राधिकृत अधिकारी अनुरोध और रिकॉर्डिंग की समीक्षा करेगा। यदि रिकॉर्डिंग पूरी तरह से व्यक्तिगत है और इसका कोई उद्देश्य नहीं है जैसा कि इस एसओपी द्वारा अपेक्षित है तो इसे हटा दिया जाएगा और ऐसे विलोपन की एक रिपोर्ट रखी जाएगी

6.7 पीटीज़ेड कैमरों की फ़ाइलों का संग्रहण (Storage of files of PTZ Camera):

6.7.1 प्रत्येक पीटीज़ेड कैमरे के मोबाइल नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर (एम0एन0वी0आर0) में 01 टीबी की हार्डडिस्क

उपलब्ध है जिसमें फोटो व वीडियो स्टोर किये जा सकते हैं। मेमोरी फुल होने पर 'फर्स्ट स्टोर फर्स्ट डिलीट' के आधार पर फोटो/वीडियो ऑटो डिलीट हो जायेंगे।

6.8 वीडियो समीक्षा/देखना (Video Review/Viwing):

6.8.1 कार्मिक यह नहीं करेगा:

6.8.1.1 किसी रिकॉर्डिंग तक पहुँचना या देखना, जब तक कि ऐसा करने में कोई कानून प्रवर्तन उद्देश्य वैध बात शामिल न हो।

6.8.1.2 पीटीज़ेड कैमरों द्वारा रिकॉर्ड किए गए किसी भी वीडियो/ऑडियो के प्लेबैक को कॉपी करने, फोटो खींचने या रिकॉर्ड करने के लिए किसी भी उपकरण का उपयोग करना।

6.8.1.3 सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी सोशल मीडिया या सार्वजनिक वेबसाइट पर पीटीज़ेड कैमरों रिकॉर्डिंग अपलोड करना।

6.8.1.4 पीटीज़ेड कैमरों की रिकॉर्डिंग को मुख्यालय यूपी-112 में लगाये गये वीडियो मैनेजमेण्ट सिस्टम (VMS) पर अथवा विभागीय कंप्यूटर सिस्टम पर देखा जा सकता है। फोटो/वीडियो को देखे जाने के दौरान अधिकारी/उपयोगकर्ता अनधिकृत रूप से किसी भी रिकॉर्डिंग/डाउनलोड का स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे।

6.8.1.5 अधिकारी वीडियो फुटेज की अपनी समीक्षा रिपोर्ट के अंश को एक कथा (नेरेटिव) के रूप में प्रलेखित करेंगे।

6.8.1.6 गैर-कानून प्रवर्तन कर्मियों को पीटीज़ेड कैमरों द्वारा की गई किसी भी रिकॉर्डिंग/वीडियोग्राफी को देखने की अनुमति नहीं दी जाएगी

6.8.2 रिकॉर्ड किए गए वीडियो की आमतौर पर अधिकारी की शिफ्ट के दौरान समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए।

6.8.3 निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए रिपोर्ट लिखने से पहले वीडियो की समीक्षा की जानी चाहिए, हालांकि वीडियो एक रिपोर्ट में एक संदर्भ है, लेकिन रिपोर्ट में विवरण लिखने को बाहर नहीं किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर "वीडियो देखें" शब्द से बचना चाहिए और रिपोर्ट में इस बात का विस्तृत विवरण दिया जाना चाहिए कि वीडियो में क्या देखा गया और क्या देखने से बाहर रहा होगा।

6.8.4 कोई भी वीडियो जो अवर्गीकृत है या गैर-घटना के रूप में टैग किया गया है, उसे सिस्टम में अधिकतम 30 दिनों तक रखा जाएगा।

7.0 पर्यवेक्षक जिम्मेदारियाँ (Supervisory Responsibilities): यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह कार्यक्रम अपनी सत्यनिष्ठा अक्षुण रखता है, यह आवश्यक है कि पर्यवेक्षक निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन करें-

7.1 पर्यवेक्षक (प्रभारी, आरओआईपी) अपने दस्तों को सौंपे गए सभी पीटीज़ेड कैमरों की रिकॉर्डिंग सिस्टमों पर प्रति माह कम से कम एक बार यादृच्छिक (रेण्डम) जांच करेंगे। यदि कोई सिस्टम निष्क्रिय पाया जाता है और अधिकारी ने अपने पर्यवेक्षक को सूचित नहीं किया है, तो पर्यवेक्षक जांच करेगा और निष्कर्षों की रिपोर्ट करेगा। पर्यवेक्षक निरीक्षण लॉग में निरीक्षण को नोट करेगा।

7.2 पर्यवेक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि क्षतिग्रस्त या गैर-कार्यात्मक पीटीज़ेड कैमरों की रिकॉर्डिंग सिस्टम की मरम्मत और प्रतिस्थापन निर्धारित है।

7.3 यह सुनिश्चित करना पर्यवेक्षकों की जिम्मेदारी है कि वीडियो रिकॉर्डिंग के संबंध में रिपोर्ट उचित रूप से प्रलेखित है।

7.4 पर्यवेक्षक यह सुनिश्चित करने के लिए रिकॉर्डिंग की नियमित समीक्षा करेंगे कि पीटीज़ेड कैमरों का सिस्टम ठीक से काम कर रहा है और रिकॉर्डिंग विभागीय निर्देशों व नीतियों के अनुरूप हो रही है।

7.5 जब भी कोई पर्यवेक्षक बल प्रयोग या उत्पीड़न, शारीरिक गिरफ्तारी की समीक्षा या जांच कर रहा हो तो वह उन सभी अधिकारियों की पीटीज़ेड कैमरों की रिकॉर्डिंग की समीक्षा करेगा जो घटना में शामिल थे या गवाह थे।

7.6 प्रदर्शन मूल्यांकन या किसी विशिष्ट प्रशिक्षण उद्देश्य की तैयारी करते समय पर्यवेक्षक पीटीज़ेड कैमरा समीक्षाओं का उल्लेख कर सकते हैं।

8 प्रणाली का रख-रखाव (System maintenance):

8.1 पीटीज़ेड कैमरों की रिकॉर्डिंग सिस्टम एक महंगे और नाजुक उपकरण हैं। यह सुनिश्चित करना निर्दिष्ट अधिकारी की ज़िम्मेदारी होगी कि सिस्टम निर्माता के निर्देशों के अनुसार संचालित और रखरखाव किया जा रहा है।

8.2 यदि पीटीज़ेड रिकॉर्डिंग सिस्टम का कोई हिस्सा खो जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो पुलिस कर्मियों को तुरंत अपने पर्यवेक्षक को सूचित करना चाहिए और घटना को लिखित रूप में दर्ज करना चाहिए।

9 रिकॉर्डिंग का जारी करना (Release of Recordings):

9.1 यूपी पुलिस विभाग की नीति है कि विभागीय उपकरणों पर उत्पन्न सभी रिकॉर्डिंग यूपी पुलिस विभाग की संपत्ति हैं। यूपी पुलिस विभाग पीटीज़ेड रिकॉर्डिंग सिस्टम द्वारा उत्पन्न किसी भी डिजिटल रिकॉर्डिंग सेगमेंट की प्रतिलिपि बनाना, प्रसारित करना या अन्य पुनरुत्पादन करना, या ऐसी रिकॉर्डिंग को बाहर हटाना, यूपी पुलिस विभाग में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना काम करना प्रतिबंधित है।

9.2 पुलिस कर्मी या अन्य कर्मचारी एसओपी में निर्दिष्ट के अलावा किसी भी रिकॉर्डिंग की कोई मूल या प्रतिलिपि किसी भी व्यक्ति या संस्था को नहीं देंगे या वितरित नहीं करेंगे या अधिकारी या कर्मचारी के पर्यवेक्षक द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमोदित न हो।

9.3 सक्षम प्राधिकारी या नामित व्यक्ति की पूर्व लिखित मंजूरी के बिना किसी भी सोशल मीडिया साइट पर फुटेज पोस्ट करना सख्त वर्जित है और इसके लिए अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

10. यूपी-112 पीटीज़ेड कैमरे के मुख्य फीचर्स (Key Features of UP-112 PTZ Camera):

10.1 पीटीज़ेड कैमरा 360 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू को सपोर्ट करता है।

10.2 पीटीज़ेड कैमरों में फोटो और वीडियो के लिए ज्वाय स्टिक दिये गये हैं। ज्वाय स्टिक के द्वारा कैमरे को ज़ूम करने, 360 डिग्री घुमाने, कैमरे के वाइपर को चलाने, विशिष्ट नम्बर द्वारा विशिष्ट कार्य के लिये प्रोग्राम किया जा सकता है।

10.3 रात्रि में फोटो/वीडियो की स्पष्टता के लिये कैमरे में इन्फ्रारेड लाइट की इनबिल्ट सुविधा है।

10.4 पीटीज़ेड कैमरों के माध्यम से दृश्यों को देखने हेतु Pan (360 डिग्री घुमाने), Tilt (-20 से 90 डिग्री ऊपर/नीचे घुमाने) व Zoom (दूर एवं पास के दृश्यों को साफ देखना) के कार्य लिये जाते हैं।

11. पीटीज़ेड कैमरों सबन्धी विवरण (Details about PTZ Cameras):

11.1 संलग्नक 'क' के रूप में संलग्न हैं।

12. पीटीज़ेड कैमरों की मॉनीटरिंग (Monitoring of PTZ Cameras):

12.1 जनपदीय स्तर पर पीटीज़ेड कैमरों को केन्द्रीय रूप से देखे जाने के लिए URL दिया जायेगा जिस पर यूपी-112 की MPLS Connectivity के माध्यम से कैमरों की लाइव मॉनीटरिंग की जा सकेगी तथा प्ले-बैक की सुविधा भी उपलब्ध होगी।

2 Assembly Parts Introduction

2.1 Package List

Unpack and check the package contents carefully. The following assembly parts are supplied:

Table 2-1 Assembly Parts of Enforcement System

Name	Quantity	Description
Mobile Enforcement System	1	Central processing unit, with a built-in GPS module and wireless network transmission module. Encoding data for storage or transmission.
Network HD IR Positioning System Lite	1	Record and capture the traffic violation scene.
Manual Controller	1	Control mobile enforcement system.
LCD Monitor	1	Display local image, including live view, playback, and menu operation.

2.2 Panel Description

2.2.1 Front Panel

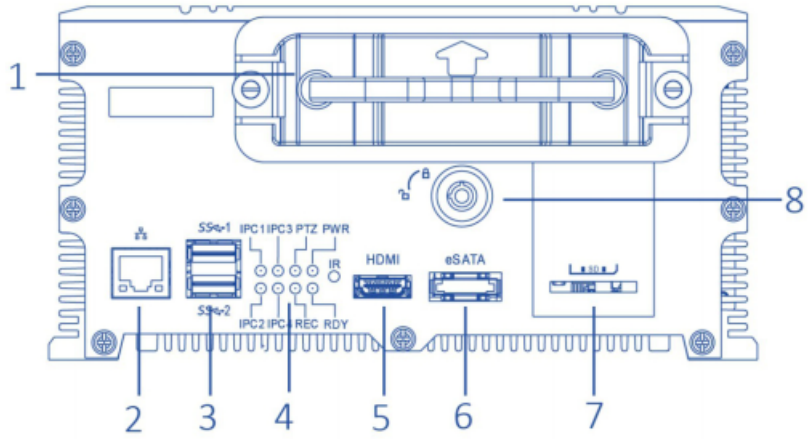

Figure 2-1 Front Panel

Table 2-2 Description of Front Panel

No.	Name	Description
1	Dummy HDD	Third-generation dummy HDD with vibration-damping technology
2	LAN	1 × 10M/100M/1000M RJ45 network interface
3	USB	2 × Type-A USB 3.0 interface
4	Indicator	PWR (Power indicator) • Solid green: Device is powered on • Solid red: Device is standby
		RDY (Ready indicator) Solid green: Device starts up normally
		PTZ (PTZ indicator) Solid green: Positioning system lite is connected
		REC (Recording indicator) Solid green: Device is recording normally.
		IPC 1 to 4 (IPC indicator): Solid green: IP camera is connected. Unlit: No camera is connected.

5	HDMI	HDMI interface
6	eSATA	eSATA interface (reserved)
7	SD	SD card slot
8	Panel lock	Lock/unlock dummy HDD and SD card slot

2.2.2 Rear Panel

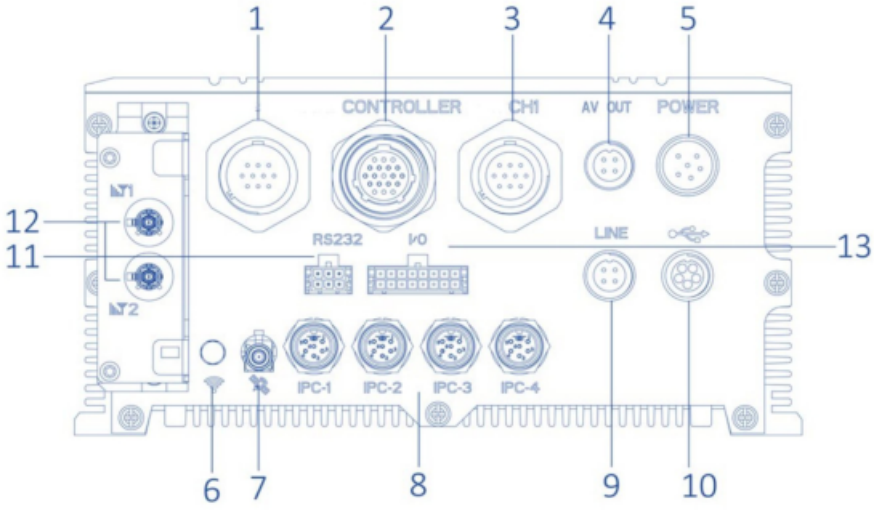

Figure 2-2 Front Panel of Enforcement Host

Table 2-3 Description of Rear Panel

No.	Name	Description
1	Display	LCD Interface
2	Controller	Manual controller interface
3	CH1	Positioning system lite interface
4	AV OUT	Analog video output
5	POWER	Power supply of 6-pin aviation plug
6	Wi-Fi	Wi-Fi antenna interface
7	GPS	GPS antenna interface NOTE The connected peripheral device of GPS antenna interface should conform to fireproofing grade V-1.
8	IPC 1 to 4	Audio and video input of channel 1 to 4
9	LINE	Two-way audio interface
10	USB	USB 3.0 of 5-pin aviation plug
11	RS-232	RS-232 interface
12	ANT antenna	3G/4G dialing antenna interface
13	I/O	I/O Interface, including: • Alarm input, triggered by high/low level • vehicle information input • Relay signal alarm output

2.2.3 Device Load Information

If peripheral devices are connected to the interfaces on panels, or HDD is plugged, the device load information is shown as below.

Connected Interface	Load Specification
USB 2.0 of 5-pin aviation plug	2.5 W
2 USB 3.0 interfaces	4.5 W
1 HDD	5 VDC, 0.55 A
CH1	12 VDC, 3.07 A
Display interface	12 VDC, 0.28 A
AV OUT	12 VDC, 0.268 A
LINE	12 VDC, 0.1 A
IPC 1 to 4	12 VDC, 0.33 A

2.3 Manual Controller Introduction

The image of standard manual controller is shown below:

Figure 2-3 Manual Controller View

Table 2-4 Buttons Description

No	Name	Description
1	Switch Lock	Power on/off.
2	Record	• Start/stop manual recording. • Light is red when recording.
	Play	• Enter/exit playback. • Light is green when in playback interface.
3	Shutter	• Adjust Shutter speed of Positioning System Lite. • Unlit: Shutter speed is 1/100s. • Solid green: Shutter speed is 1/300s. • Flashing in slow frequency: Shutter speed is 1/600s. • Flashing in high frequency: Shutter speed is 1/1000s.
	Day Night	• Enable/disable supplement light. • Light is orange when enabled, light off when disabled.
	Cam Display	In live view mode, switch to Positioning System Lite. In playback search result interface, select a single file.
	M/F Bright	Switch the function of Near + Up and Far − Down.
	Near + Up	• Focus on near view when the indicator of M/F Bright is on. • Increase brightness when the indicator of M/F Bright is off.
	Far − Down	• Focus on far view when the indicator of M/F Bright is on. • Decrease brightness when the indicator of M/F Bright is off.
4	0 ~ 9	• Numeric buttons (0~9). • Character buttons (a~z, A~Z). • Menu selection function. • Presets setting and calling function.
5	Setup	Save settings and exit from current menu. Light is on when in menu interface.

6	F1	In playback search result interface, press it to select all files.
7	OK	Works as the OK button: ● Manual capture. ● Start/stop traffic violation recording.
8	Joystick	● Steer Positioning System Lite to desired view. ● Zoom in/out for Positioning System Lite. ● Menu operation and edit parameters.

3 Installation

3.1 Install HDD

Before You Start:

Prepare the tools and components for installation:

- One factory recommended 2.5-inch HDD.
- Antistatic gloves
- Key to dummy HDD (delivered with device)
- Cross screwdriver
- Screws (delivered with device)

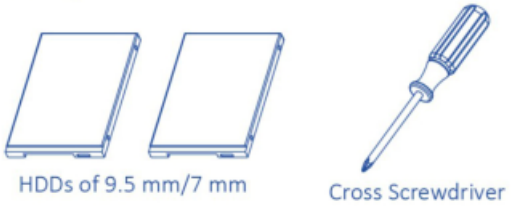

Figure 3-1 Tools

Purpose:

Perform the following steps to install the HDD on the device.

Step 1 Insert the key and unlock dummy HDD.

Step 2 Unfasten the two screws of dummy HDD and pull dummy HDD out of device.

Step 3 Use cross screwdriver to loosen the two screws and remove them, and then take the dummy HDD apart.

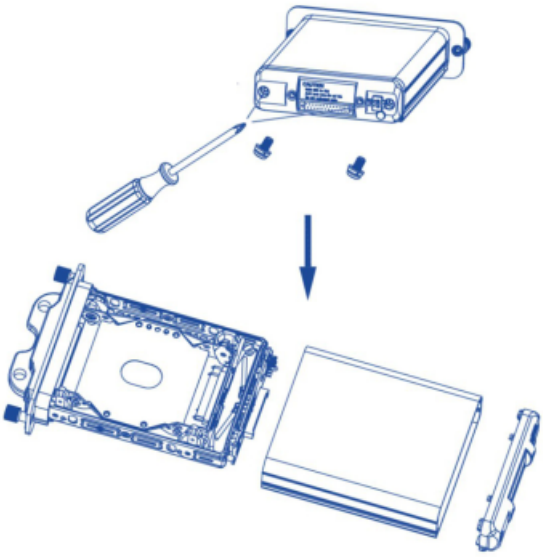

Figure 3-2 Take Apart Dummy HDD

Step 4 Place HDD into the dummy HDD, with the PCB facing down.

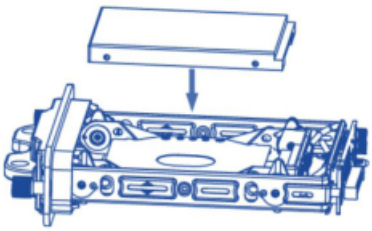

Figure 3-3 Place HDD

Step 5 Push the HDD along the direction shown in **Error! Reference source not found.** to connect HDD with socket of dummy HDD.

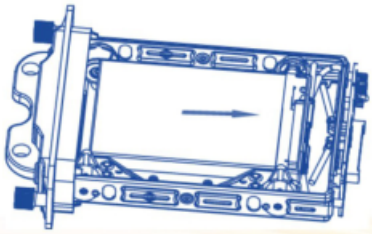

Figure 3-4 Push HDD

Step 1 Use four sunk screws to fix HDD with dummy HDD.

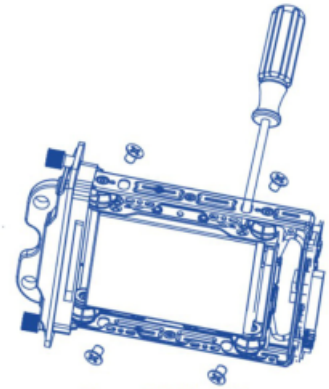

Figure 3-5 Fix HDD

Step 2 Reassemble the dummy HDD.

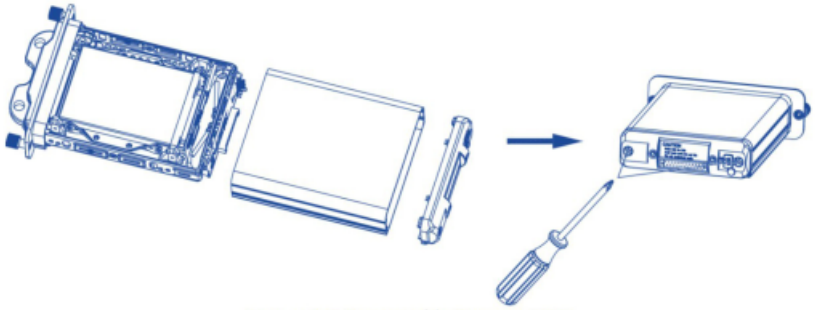

Figure 3-6 Reassemble Dummy HDD

Step 3 Plug the dummy HDD back to the device and then tighten the screws clockwise.

Step 4 Turn the key clockwise to lock dummy HDD.

3.2 Install SIM Card

Purpose:

Pluggable 3G/4G wireless communication module is designed for the device and you should install the SIM card to realize the wireless communication function.

Before You Start

Prepare the tools and components for installation:

- SIM card

उत्तर प्रदेश में यूपी-112 के पीआरवी वाहनों के कार्मिकों को उपलब्ध कराये गये बॉडी वार्न कैमरों (BWC) के संचालन हेतु "मानक संचालन प्रकिया"

---

1. **सामान्य (General) :** अपराधों की अभियोजन प्रक्रिया, साक्ष्य संकलन, पुलिस कर्मियों को झूठे आरोपों से बचाने, प्रशिक्षण और पुलिस गतिविधियों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने में बॉडी वार्न कैमरों की रिकॉर्डिंग महत्वपूर्ण साबित हुई है। बॉडी वार्न कैमरों की उपयोगिता को सिद्ध करने के लिए, पुलिस कर्मियों को बॉडी वार्न कैमरों द्वारा रिकॉर्डिंग की प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।

2. **उद्देश्य (Purpose) :** इस मानक संचालन प्रक्रिया का उद्देश्य बॉडी वार्न कैमरों के उचित उपयोग, देखभाल और रख-रखाव के लिए दिशा-निर्देश स्थापित करना है। यह साक्ष्यों के संग्रह और दस्तावेज़ीकरण के लिए एक रूपरेखा भी प्रदान करता है।

3. **दायरा (Scope) :** यह प्रक्रिया पुलिस विभाग के उन सभी कर्मचारियों/अधिकृत व्यक्तियों पर लागू होगी, जिन्हें ऑडियो और वीडियो दोनों रिकॉर्ड करने के लिए डिज़ाइन किया गया बॉडी वॉर्न कैमरा उपलब्ध कराया गया है।

4. **परिभाषाएँ (Definitions) :**

   4.1 सक्रिय करें: BWC को निष्क्रिय रिकॉर्डिंग से सक्रिय रिकॉर्डिंग मोड में स्विच करें। जब BWC निष्क्रिय मोड में काम कर रहा होता है तब तक कोई आवाज कैप्चर नहीं होती है।

   4.2 सक्रिय रिकॉर्डिंग मोड: वीडियो और ऑडियो को घटना आधारित मीडिया में कैप्चर करना।

   4.3 बॉडी वॉर्न कैमरा : विभाग द्वारा निर्गत एक उपकरण जिसे अधिकारी की वर्दी पर लगाया जाता है, अर्थात् कंधे के इपॉलेट पर, जेब, या पुलिस द्वारा निर्दिष्ट किसी भी स्थान पर।

   4.4 पर्यवेक्षक अधिकारी: बीडब्ल्यूसी से संबंधित प्रक्रिया की निगरानी के लिए बीडब्ल्यूसी पहनने वाले पुलिस कर्मियों से वरिष्ठ कोई भी अधिकृत अधिकारी। यूपी-112 के जनपदीय आरओआई प्रभारी निरीक्षक पर्यवेक्षक अधिकारी माने जायेंगे।

5. **सामान्य निर्देश (Ordinary Instructions) :**

   5.1 विभाग द्वारा निर्गत BWC का उपयोग आधिकारिक तौर पर व पुलिस वर्दी में कर्तव्यरत रहने के दौरान किये जाने के लिए अधिकृत है। बीडब्ल्यूसी का उपयोग व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाएगा।

   5.2 ड्यूटी के दौरान गैर-विभागीय निर्गत BWC या किसी भी अन्य रिकॉर्डिंग डिवाइस का उपयोग सख्त वर्जित है।

   5.3 BWC धारण करने के लिए अधिकृत होने से पहले अधिकारियों को आवश्यक प्रशिक्षण पूरा करना होगा।

   5.4 BWC उपकरण और उपकरण द्वारा कैप्चर किए गए/रिकॉर्ड किए गए या अन्यथा उत्पादित सभी डेटा, चित्र, वीडियो और मेटाडेटा पुलिस विभाग की अधिकारिक संपत्ति है और उसे पुलिस मुख्यालय या किसी नामित नोडल इकाई द्वारा निर्गत निर्देशों, लागू कानूनों के अनुसार सुरक्षित रूप से संग्रहीत और बनाए रखा जाएगा।

   5.5 विभाग के कार्मिक बिना पूर्व अधिकारिता के किसी भी प्रारूप में BWC रिकॉर्डिंग को संपादित, परिवर्तित, मिटाने, डुप्लिकेट, कॉपी, साझा या अन्यथा वितरित नहीं करेंगे।

   5.6 BWC को हमेशा अधिकृत अधिकारी के अधीन एक सुरक्षित और निर्दिष्ट स्थान पर संग्रहित किया जाएगा।

6. **प्रक्रियाएं (Procedures):** जिन पुलिस कर्मियों को शरीर पर पहने जाने वाले रिकॉर्डिंग उपकरण सौंपे गए हैं, वे निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन करेंगे:

   6.1 प्रशिक्षण (Training):

      6.1.1 पुलिस कर्मियों को शरीर पर पहने जाने वाले रिकॉर्डिंग उपकरण निर्गत करने से पहले निर्देश के आवश्यक ब्लॉक को पूरा करना होगा। प्रशिक्षण में मूल निर्माता द्वारा अनुशंसित, उपकरण के सभी पहलुओं और अपलोड, प्रक्रिया से परिचित होना शामिल होगा।

   6.2 जारी एवं परिचालन जांच (Issue and Operational Checks):

6.2.1 प्रत्येक शिफ्ट की शुरुआत में उपयोगकर्ता पुलिस कर्मी बीडब्ल्यूसी को सुरक्षित स्टेशन से बाहर निकालने से पहले ठीक से चेक करेंगे। उपयोगकर्ता अधिकारी यह पुष्टि करेगा कि BWC सही ढंग से कॉन्फ़िगर किया गया है और ठीक से काम कर रहा है। BWC उपकरण की खराबी, क्षति, हानि या चोरी की सूचना तुरंत पर्यवेक्षक अधिकारी को दी जाएगी।

6.2.2 किसी अधिकारी की शिफ्ट या असाइनमेंट के प्रारम्भ में, अतिरिक्त ड्यूटी और/या विशेष आयोजनों को शामिल करने के लिए, वे यह सुनिश्चित करेंगे कि रिकॉर्डिंग सिस्टम को पॉवर मिल रही है और ठीक से काम कर रही है। वे यह सुनिश्चित करने के लिए भी जाँच करेंगे कि रेडी स्टेटस लाइट चालू है।

6.2.3 अधिकारी प्राय: यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी शिफ्ट के दौरान डिवाइस पर स्टेटस लाइट चालू रहे।

6.3 ऑपरेशन (Operation):

6.3.1 शरीर पर पहना जाने वाला कैमरा कंधे के एपॉलेट, जेब या उपलब्ध कराए गए अन्य सामान पर स्थित होगा।

6.3.2 जब भी किसी घटना पर यदि कोई वीडियो मददगार हो और उसे बनाया न गया हो तो विभाग एवं व्यक्तिगत रूप से पुलिस कर्मियों की जांच किए जाने की संभावना होगी। कर्मिकों द्वारा उनके कार्यों को समझाने में उनका विवेक और दस्तावेज़ीकरण सर्वोपरि होगा।

6.3.3 शामिल सभी पुलिस कर्मियों द्वारा, जब भी संभव हो, निम्नलिखित प्रकार की घटनाओं को एकत्र करने और रिकॉर्ड करने के लिए BWC रिकॉर्डिंग सिस्टम का उपयोग किया जाएगा-

6.3.3.1 यातायात रुक जाय

6.3.3.2 पीछा करना- वाहन या पैदल

6.3.3.3 संभावित टकराव वाले नागरिक से संपर्क

6.3.3.4 शारीरिक गिरफ़्तारी

6.3.3.5 बल प्रयोग स्थितियों में

6.3.3.6 संदिग्ध वाहन/व्यक्ति कॉल

6.3.3.7 अलार्म प्रतिक्रियाएँ और भवन जाँच

6.3.3.8 कोई भी अन्य कानून प्रवर्तन गतिविधि जिसके बारे में अधिकारी को लगता है कि बॉडी वार्न रिकॉर्डिंग सिस्टम के उपयोग से लाभ हो सकता है। यदि कोई संदेह हो तो सिस्टम को सक्रिय कर देना चाहिए। ऐसा करने में असमर्थता और उपरोक्त किसी भी मामले में वीडियो रिकॉर्डिंग लागू न हो पाने की कमी को लिखित रूप में उचित सिद्ध किया जायेगा।

6.3.3.9 जब तक कि नीचे दिए गए पैराग्राफ (निषिद्ध रिकॉर्डिंग) में विशेष रूप से निषिद्ध न किया गया हो, कोई अधिकारी अपने BWC को सक्रिय कर सकता है जब भी उन्हें लगता है कि इसका उपयोग आगे के कानून प्रवर्तन उद्देश्यों के लिए उचित है।

6.3.4. कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ पुलिस कर्मियों को चोट लगने, सबूत नष्ट होने या भागने से रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की स्थितियों में पुलिस कर्मियों को BWC रिकॉर्डिंग सिस्टम को सक्रिय करना चाहिए, यदि ऐसा करने से उन्हें या दूसरों को खतरा नहीं होता हो। यदि तत्काल सक्रियण संभव नहीं है, तो अधिकारी पहले उपलब्ध अवसर पर, जब तत्काल खतरे का समाधान हो जाए, कैमरा सक्रिय कर देगा।

6.3.5 शारीरिक रूप से पहने जाने वाले रिकॉर्डिंग सिस्टम को पुलिस कर्मियों द्वारा मैन्युअल रूप से निष्क्रिय किया जा सकता है, जब उन्हें यथोचित विश्वास हो कि ऐसा करने से महत्वपूर्ण दस्तावेजी जानकारी का नुकसान नहीं होगा, सामरिक या गोपनीय चर्चाओं या ब्रीफिंग की सुरक्षा के लिए, या जब पर्यवेक्षक द्वारा ऐसा करने का निर्देश दिया जाता है। निष्क्रियता को वीडियो और रिपोर्ट में प्रलेखित किया जाएगा।

6.3.6 इस एसओपी में उल्लिखित बॉडी वॉर्न रिकॉर्डिंग सिस्टम को सक्रिय करने में विफलता, रिकॉर्डिंग को ठीक से बनाए न रख और संग्रहीत न करने, या सिस्टम के दुरुपयोग या दुरुपयोग के परिणामस्वरूप अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

6.3.7 जब किसी घटना के दौरान रिपोर्ट की आवश्यकता होने पर वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है, तो रिपोर्ट को बॉडी वार्न कैमरा 'वीडियो उपलब्ध' के रूप में टैग किया जाना चाहिए।

6.3.8. बल प्रयोग की घटना या अन्य टकराव वाले नागरिक संपर्क की आशंका में जानबूझकर सिस्टम को बंद करना पूरी तरह से निषिद्ध है, और इसके परिणामस्वरूप सेवा समाप्ति तक अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।

6.4 निषिद्ध रिकॉर्डिंग (Prohibited Recordings): BWC का उपयोग केवल आधिकारिक कानून प्रवर्तन कर्तव्यों के लिए किया जाएगा। BWC का उपयोग निम्न रिकॉर्ड करने के लिए नहीं किया जाएगा-

6.4.1 सहकर्मियों/सहकर्मियों या किसी अन्य कानून प्रवर्तन अधिकारी, चाहे वह कनिष्ठ हो या वरिष्ठ, के साथ उनकी जानकारी या अनुमति के बिना संचार।

6.4.2 जब अधिकारी अवकाश पर हों या अन्यथा व्यक्तिगत गतिविधियों में संलग्न हों या जहां गोपनीयता की उचित अपेक्षा हो जैसे कि कार्यालयों, विश्राम कक्षों या किसी अन्य ऐसे स्थान/सुविधाओं में।

6.4.3 न्यायालय के एक अधिकारी के समक्ष उपस्थित होते समय।

6.4.4 सुधारात्मक सुविधाओं (जेलों) के अंदर रहते हुए "नो रिकॉर्डिंग पॉलिसी" के अन्तर्गत।

6.4.5 गोपनीय मुखबिरों से मुठभेड़ के दौरान या किसी कानून के तहत परिभाषित आधिकारिक गोपनीयता की प्रकृति की किसी अन्य गतिविधि के दौरान।

6.4.6 कानून प्रवर्तन वार्तालापों/प्रक्रियाओं/सामरिक और रणनीतिक प्रकृति की योजनाओं से जुड़े संचार के लिए।

6.4.7 स्ट्रिप तलाशी को संयोजित करते समय।

6.4.8 किसी भी अनौपचारिक और सोशल मीडिया उद्देश्य के लिए अपनी या किसी की भी रिकॉर्डिंग।

6.5 रिकॉर्डिंग ख़त्म करना (Ending Recordings):

6.5.1 BWC उपयोगकर्ता पुलिस कर्मियों/अधिकारियों को केवल जनता के किसी सदस्य की मांग पर किसी घटना, स्थिति, परिस्थिति की रिकॉर्डिंग बंद करने की आवश्यकता नहीं है। अपराध के शिकार लोग अपवाद हैं; एक बार जब घटना स्थल स्थिर हो जाता है और सुरक्षा संबंधी चिंता समाप्त हो जाती है तो बातचीत में एक अधिकारी को पीड़ित के अनुरोध पर कैमरा निष्क्रिय कर देना चाहिये।

6.5.2 BWC उपयोगकर्ता को निवास जैसे किसी स्थान पर गोपनीयता की उचित अपेक्षा रखने वाले व्यक्ति द्वारा विशेष रूप से अनुरोध किए जाने पर बीडब्ल्यूसी को निष्क्रिय कर देना चाहिए।

6.5.3 BWC उपयोगकर्ता पुलिस कर्मी/अधिकारी किसी रिकॉर्डिंग को समाप्त कर सकते हैं, यदि व्यक्ति गुमनाम रूप से किसी अपराध की रिपोर्ट करना चाहता है या कानून प्रवर्तन जांच में सहायता करना चाहता है, कैमरा बंद करने का अनुरोध करता है या अधिकारी का मानना है कि रिकॉर्डिंग समाप्त करने से जांच के उद्देश्य के लिए आवश्यक जानकारी के आदान-प्रदान में आसानी होगी।

6.5.4 जो अधिकारी इस एसओपी में अपेक्षित किसी घटना की रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे, उन्हें रिकॉर्डिंग बंद करने का कारण दर्ज करना होगा और मांगे जाने पर अपनी रिपोर्ट जमा करनी होगी।

6.6 अनजाने रिकॉर्डिंग (Inadvertent Recordings):

BWC उपयोगकर्ता पुलिस कर्मी/अधिकारी, पुलिस अधीक्षक/यूनिट के प्रमुख को लिखित रूप में अनुरोध कर सकते हैं कि पूरी तरह से व्यक्तिगत प्रकृति की किसी भी विशिष्ट अनजाने रिकॉर्डिंग को हटा दिया जाए। प्राधिकृत अधिकारी अनुरोध और

रिकॉर्डिंग की समीक्षा करेगा। यदि रिकॉर्डिंग पूरी तरह से व्यक्तिगत है और इसका कोई उद्देश्य नहीं है जैसा कि इस एसओपी द्वारा अपेक्षित है तो इसे हटा दिया जाएगा और ऐसे विलोपन की एक रिपोर्ट रखी जाएगी

6.7 BWC की चार्जिंग व फ़ाइलों का संग्रहण (BWC Charging and Storage of files):

6.7.1 BWC सिस्टम को चार्ज करने के लिए उपकरण के साथ उपलब्ध यूएसबी चार्जिंग केबल का उपयोग किया जाय। वाहन का प्रयोग करते वाहन में उपलब्ध पोर्ट के माध्यम से चार्जिंग की जा सकती है।

6.7.2 BWC में 256 जीबी की इनबिल्ट मेमोरी क्षमता है जिसमें फोटो व वीडियो स्टोर किये जा सकते हैं। मेमोरी फुल होने पर 'फर्स्ट स्टोर फर्स्ट डिलीट' के आधार पर फोटो/वीडियो ऑटो डिलीट हो जायेंगे।

6.8 वीडियो समीक्षा/देखना (Video Review/Viwing):

6.8.1 कार्मिक यह नहीं करेगा:

6.8.1.1 किसी रिकॉर्डिंग तक पहुँचना या देखना, जब तक कि ऐसा करने में कोई कानून प्रवर्तन उद्देश्य वैध बात शामिल न हो।

6.8.1.2 BWC द्वारा रिकॉर्ड किए गए किसी भी वीडियो/ऑडियो के प्लेबैक को कॉपी करने, फोटो खींचने या रिकॉर्ड करने के लिए किसी भी उपकरण का उपयोग करना।

6.8.1.3 सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी सोशल मीडिया या सार्वजनिक वेबसाइट पर बीडब्ल्यूसी रिकॉर्डिंग अपलोड करना।

6.8.1.4 BWC रिकॉर्डिंग को विभागीय कंप्यूटर सिस्टम पर यूएसबी केबल का उपयोग करके देखा जा सकता है। फोटो/वीडियो को देखे जाने के दौरान अधिकारी/उपयोगकर्ता अनधिकृत रूप से किसी भी रिकॉर्डिंग/डाउनलोड का स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे।

6.8.1.5 अधिकारी वीडियो फ़ुटेज की अपनी समीक्षा रिपोर्ट के अंश को एक कथा (नेरेटिव) के रूप में प्रलेखित करेंगे।

6.8.1.6 गैर-कानून प्रवर्तन कर्मियों को BWC द्वारा की गई किसी भी रिकॉर्डिंग/वीडियोग्राफी को देखने की अनुमति नहीं दी जाएगी

6.8.2 रिकॉर्ड किए गए वीडियो की आमतौर पर अधिकारी की शिफ्ट के दौरान समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए।

6.8.3 निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए रिपोर्ट लिखने से पहले वीडियो की समीक्षा की जानी चाहिए, हालांकि वीडियो एक रिपोर्ट में एक संदर्भ है, लेकिन रिपोर्ट में विवरण लिखने को बाहर नहीं किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर "वीडियो देखें" शब्द से बचना चाहिए और रिपोर्ट में इस बात का विस्तृत विवरण दिया जाना चाहिए कि वीडियो में क्या देखा गया और क्या देखने से बाहर रहा होगा।

6.8.4 कोई भी वीडियो जो अवर्गीकृत है या गैर-घटना के रूप में टैग किया गया है, उसे सिस्टम में अधिकतम 30 दिनों तक रखा जाएगा।

7. पर्यवेक्षक जिम्मेदारियाँ (Supervisory Responsibilities): यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह कार्यक्रम अपनी सत्यनिष्ठा अक्षुण रखता है, यह आवश्यक है कि पर्यवेक्षक निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन करें-

7.1 पर्यवेक्षक (प्रभारी, आरओआईपी) अपने दस्तों को सौंपे गए सभी बॉडी वार्न रिकॉर्डिंग सिस्टमों पर प्रति माह कम से कम एक बार यादृच्छिक (रेण्डम) जांच करेंगे। यदि कोई सिस्टम निष्क्रिय पाया जाता है और अधिकारी ने अपने पर्यवेक्षक को सूचित नहीं किया है, तो पर्यवेक्षक जांच करेगा और निष्कर्षों की रिपोर्ट करेगा। पर्यवेक्षक निरीक्षण लॉग में निरीक्षण को नोट करेगा।

7.2 पर्यवेक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि क्षतिग्रस्त या गैर-कार्यात्मक बॉडी वार्न रिकॉर्डिंग सिस्टम की मरम्मत और प्रतिस्थापन निर्धारित है।

7.3 यह सुनिश्चित करना पर्यवेक्षकों की जिम्मेदारी है कि वीडियो रिकॉर्डिंग के संबंध में रिपोर्ट उचित रूप से प्रलेखित है।

7.4 पर्यवेक्षक यह सुनिश्चित करने के लिए रिकॉर्डिंग की नियमित समीक्षा करेंगे कि BWC सिस्टम ठीक से काम कर रहा है और रिकॉर्डिंग विभागीय निर्देशों व नीतियों के अनुरूप हो रही है।

7.5 जब भी कोई पर्यवेक्षक बल प्रयोग या उत्पीड़न, शारीरिक गिरफ्तारी की समीक्षा या जांच कर रहा हो तो वह उन सभी अधिकारियों की BWC रिकॉर्डिंग की समीक्षा करेगा जो घटना में शामिल थे या गवाह थे।

7.6 प्रदर्शन मूल्यांकन या किसी विशिष्ट प्रशिक्षण उद्देश्य की तैयारी करते समय पर्यवेक्षक बॉडी कैमरा समीक्षाओं का उल्लेख कर सकते हैं।

8. प्रणाली का रख-रखाव (System maintenance):

8.1 बॉडी वार्न रिकॉर्डिंग सिस्टम एक महंगा और नाजुक उपकरण है। यह सुनिश्चित करना निर्दिष्ट अधिकारी की ज़िम्मेदारी होगी कि सिस्टम निर्माता के निर्देशों के अनुसार संचालित और रखरखाव किया जा रहा है।

8.2 यदि शरीर पर पहने जाने वाले रिकॉर्डिंग सिस्टम का कोई हिस्सा खो जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो पुलिस कर्मियों को तुरंत अपने पर्यवेक्षक को सूचित करना चाहिए और घटना को लिखित रूप में दर्ज करना चाहिए।

9. रिकॉर्डिंग का जारी करना (Release of Recordings):

9.1 यूपी पुलिस विभाग की नीति है कि विभागीय उपकरणों पर उत्पन्न सभी रिकॉर्डिंग यूपी पुलिस विभाग की संपत्ति हैं। यूपी पुलिस विभाग बॉडी वॉर्न रिकॉर्डिंग सिस्टम द्वारा उत्पन्न किसी भी डिजिटल रिकॉर्डिंग सेगमेंट की प्रतिलिपि बनाना, प्रसारित करना या अन्य पुनरुत्पादन करना, या ऐसी रिकॉर्डिंग को बाहर हटाना, यूपी पुलिस विभाग में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना काम करना प्रतिबंधित है।

9.2 पुलिस कर्मी या अन्य कर्मचारी एसओपी में निर्दिष्ट के अलावा किसी भी रिकॉर्डिंग की कोई मूल या प्रतिलिपि किसी भी व्यक्ति या संस्था को नहीं देंगे या वितरित नहीं करेंगे या अधिकारी या कर्मचारी के पर्यवेक्षक द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमोदित न हो।

9.3 सक्षम प्राधिकारी या नामित व्यक्ति की पूर्व लिखित मंजूरी के बिना किसी भी सोशल मीडिया साइट पर फुटेज पोस्ट करना सख्त वर्जित है और इसके लिए अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

10. यूपी-112 बॉडी वार्न कैमरे के मुख्य फीचर्स (Key Features of UP-112 Body Worn Camera):

10.1 बॉडी वर्न कैमरा 129 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू को सपोर्ट करता है।

10.2 BWC में फोटो और वीडियो के लिए अलग-अलग बटन दिये गये हैं।

11. बॉडी वार्न कैमरे सबन्धी विवरण (Body Worn Camera Details)

11.1 संलग्नक 'क' के रूप में संलग्न हैं।

बॉडी वार्न कैमरे के चित्र

सामने का चित्र

पीछे का चित्र

बायें तरफ का चित्र

दायें तरफ का चित्र

कैमरे को वर्दी पर लगाने के चित्र

1.3 Buttons and Interfaces

Refer to Figure 1-1 for the overall view of the body camera.

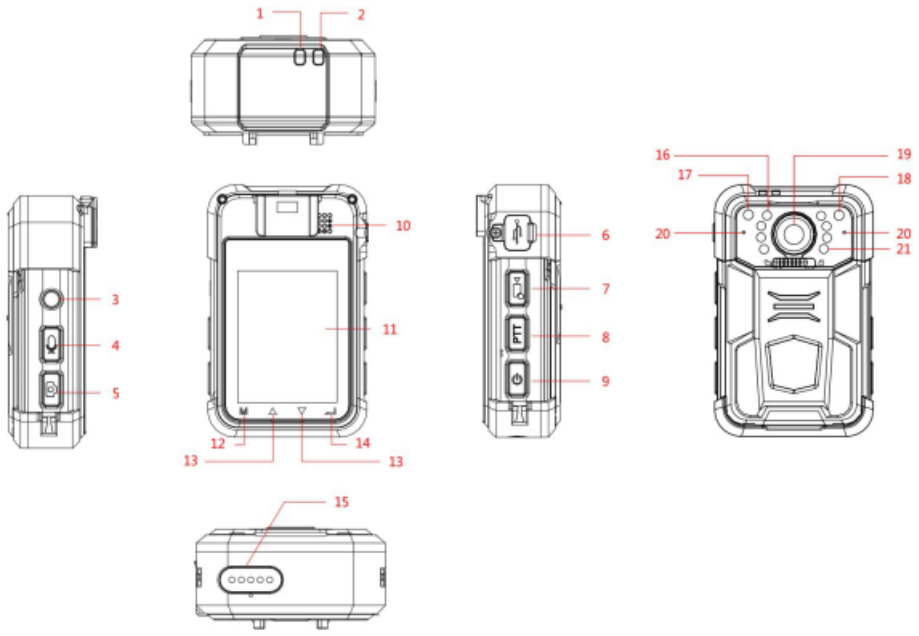

Figure 1-1 Overall View

Table 1-1 Description of Overall View

No.	Button	Description
1	LED 1	• When body camera is being charged, it is solid red. • When body camera is fully charged, it is solid green. • When body camera is in low battery, it flashes in red with high frequency. • When body camera is recording, it flashes in red with low frequency.
2	LED 2	• When body camera is working, it is solid green. • When body camera is taping audio, it flashes in yellow.
3	SOS	In emergency, hold it for more than 1 second to alarm manually and send the alarm to the platform.

No.	Button	Description
4	Taping	• Press it to start/stop taping. • Hold it for 3 seconds to turn on/off white light.
5	Capture	Press it to capture current live view image.
6	USB interface	Connect USB cable or charger to it.
7	Recording	• Press it to start/stop recording. • Hold it for 3 seconds to turn on laser positioning light. • When body camera is shut down, hold it for 3 seconds to start up it and start recording.
8	PTT	Reserved button.
9	On/Off	• When body camera is off, hold it for 3 seconds to start it up. • When body camera is on, hold it for 3 seconds to shut it down. • After body camera is started up, press it to inactivate/activate LCD.
10	Loudspeaker	Loudspeaker.
11	LCD	It displays local menu and live view image.
12	M	• In LCD live view mode, tap it to enter main menu. • In LCD menu, tap it to exit.
13	△/▽	• In LCD menu, tap it to navigate between fields and items in menus. • In LCD playback mode, tap △/▽ to speed up/slow down playback speed. • In LCD live view mode, tap △/▽ to zoom in/out.
14	⏎	• In LCD menu, tap it to enter a sub-menu or confirm a selection. • When body camera is recording, hold it for 3 seconds to set a video tag.
15	Expansion interface	Connect it to the cradle for charging or data transmission. NOTE The cradle is optional.
16	White light	It supplies light at dark environment.
17	Photosensitive sensor	It can detect the surrounding light and adjust the LCD brightness to save power and make your eyes comfortable.

जनपदीय कन्ट्रोल रूम नम्बर
(District Control Room Number)

S.No.	District	IP No.	DCR/CCR CUG NO.	ROIP NO.
1	Agra	7059	DCR- 9454417436, CCR 9454402771	7839858559
2	Aligarh	7063	DCR- 9454402807,CCR 9454402808	6389151886
3	Ambedkar Nagar	7011	DCR-7607345737,CCR-9454417373	6389150198
4	Amroha	7057	DCR-9454417375	9458666686
5	Amethi	7009	DCR-9454417412	7839856477
6	Ayodhya	7007	DCR- 9454417465,CCR- 9454402648	8467819153
7	Auraiya	7014	DCR-9454417385	7839855887
8	Azamgarh	7036-7836	DCR-9454417473	
9	Badaun	7053	DCR-9454417440,CCR-9454402956	9044154489
10	Bahraich	7049	DCR-9454417462	9151783115
11	Banda	7025	DCR-9454417458	7311150795
12	Balrampur	7047	DCR-9454417381,8957422023	8543085592
13	Barabanki	7008	DCR-9454417464	7839862687
14	Bareilly	7050	DCR-9454417441,CCR-9454403107	
15	Basti	7043	DCR-9454401933	7839862808
16	Ballia	7038	DCR-9454417475	9454403018
17	Baghpat	7072	DCR-9454417383	7839864253
18	Bijnor	7058	DCR-7839855846,CCR-9454403147	7839864412
19	Bulandshahar	7069	DCR-9454403177	
20	Chitrakoot	7028	DCR-9305101080,9454417398	
21	Chandauli	7030	DCR-9454417379	7839864881
22	Deoria	7040	DCR-9454417471	9838308048
23	Etah	7065	DCR-9454417438	7839854377
24	Etawah	7015	DCR-9454417451,CCR-9454403285	9044654681
25	Farrukhabad	7017	DCR-9454417450	7839856722
26	Fatehpur	7024	DCR-9454403359,CCR-9454417459	9450186453
27	Firozabad	7060	DCR-9454417437,CCR-9454403380	7311150680
28	Gautam Buddh Nagar	7070	DCR-9870395052,9454417376,CCR-8800199955	7311151859
29	Gonda	7046	DCR-9454417463	9044154965
30	Ghaziabad	7071	DCR-8929436700,94544417432	9643322916
31	Ghazipur	7031	DCR-9454417476	7839864010
32	Gorakhpur	7039	DCR-9454417470,CCR- 9454403527	7607156133
33	Hamirpur	7026	DCR-9454417457	7839854650
34	Hapur	7068	DCR-9454405126	7311152993
35	Hathras	7064	DCR-9454417374	7839855987
36	Hardoi	7004	DCR-9454417446	7839858552
37	Jaunpur	7032	DCR/CCR- 9454417474	7398428212
38	Jalaun	7020	DCR-9454417454,05162-252330	7839858115
39	Jhansi	7018	DCR-9454401893,CCR- 9454417455	7311150372
40	Kannauj	7016	DCR-9454403690	7311151653
41	Kanpur Dehat	7013	DCR-9454417452	9555539615
42	Kanpur Nagar	7012	DCR-9454417453/9454458314	7311150442
43	Kasganj	7066	DCR-9454417386,9258153730	9258153731
44	Kushinagar	7041	DCR-9454417371	7380754124
45	Kaushambi	7023	DCR-9454417374	7311151205

S.No.	District	IP No.	DCR/CCR CUG NO.	ROIP NO.
46	Lakhimpur Khiri	7005	DCR-9454417444,05872-272565	6389151938
47	Lalitpur	7019	DCR-9454417456	6389151308
48	Lucknow	7077-7078	DCR-9454458174	7311150532/7311100000
49	Mahoba	7027	DCR-9454417372	8957329705
50	Mainpuri	7061	DCR-9454417439	7839865860
51	Meerut	7067	DCR- 9454417431,CCR-9454401587	7311153789
52	Mirzapur	7033	DCR-9454417478	7839005905
53	Moradabad	7054	DCR-9454417427	7839857255
54	Mau	7037	DCR-9454417472	7311150522
55	Maharaj Ganj	7042	DCR-9454417468	8299256066
56	Mathura	7062	DCR-9454417435,CCR- 9454457980,0565-2470311	7311154184
57	Muzaffar Nagar	7074	DCR-9454417430,CCR-9454404087,0131-2645283	7839866521
58	Pilibhit	7051	DCR-9454417442	9410035004
59	Prayagraj	7021	DCR- 9454457975,CCR-9454402863	9044354163
60	Pratapgarh	7022	DCR-9454417460,05342-220244	6389149896
61	Raibareilly	7002	DCR-9454417449	8960729930
62	Rampur	7055	DCR-7839859835,CCR-9454417428	7839859757
63	Shamli	7075	DCR-9454405124	7839866073
64	Saharanpur	7073	DCR-9454417429	7839857864
65	Sambhal	7056	DCR-9454405190	7839860141
66	Shravasti	7048	DCR-9454417380	
67	Sonbhadra	7034	DCR-9454417479	7839857694
68	Santkabir Nagar	7044	DCR-9454417382	7521044706
69	Sant Ravi Das Nagar	7035	DCR-9454417370	7311152314
70	Shahjahanpur	7052	DCR-9454417443	7839863494
71	Siddharth Nagar	7045	DCR-9454417467,05544-222101	7311151508
72	Sitapur	7006	DCR-9454417445	7839860377
73	Sultanpur	7010	DCR-9454417466	7311154451
74	Unnao	7003	DCR-9454417447	7311152908
75	Varanasi	7029	DCR-9454417477,CCR-9454401645	7311150632

Awards

Best International Call Centre Award Dubai

नीति आयोग

Recognized as 'Best Project' of GoUP in NITI Aayog's national conference under the chairmanship of Hon'ble PM of India

5th SMART CITIES CONCLAVE & AWARDS

Smart Solution – Safety & Security (2017)

BPR&D Recommended all states to adopt a model like 112 (2017)

FICCI

FICCI Smart Policing Awards: Special Jury Award (2017)

re:think india

ReThink India Award: Bharat Ratna Shri Atal Bihari Award for Innovation (2017)

FOUNDATION FOR POLICE RESEARCH

Foundation of Police Research: Police Excellence Award (2017)

उत्तर प्रदेश पुलिस

किसी भी आपात(इमरजेंसी)

सहायता के लिए

112

मिलाएं

पब्लिक इन्फॉर्मेशन सेंटर, यूपी-112, आपातकालीन प्रबंधन प्रणाली, 7/13, गोमती नगर विस्तार शहीद पथ, लखनऊ -226027

@112UttarPradesh /112UttarPradesh +91-7570000100 112uttarpradesh